रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 15, 2000/आषाढ़ 24, 1922

No. 91] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 15, 2000/ASADHA 24, 1922

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2000

सं. एल-7/20/99-सी ई आर सी.— केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्यकरण) विनियम,1999 के विनियम 110 के साथ पठित विनियम,94 के साथ पठित विनियम 74 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में अन्य सभी अधिकारिक शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

(i) इस आदेश को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण यूटिलिटी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति) आदेश, 1999 कहा जाएगा ।

1938 GI/2000—1A

(ii) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

(iii) इस आदेश में निहित शब्दों और विचारों का वही अर्थ होगा जो विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1999 भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 तथा विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 में परिभाषित है ।

2. <u>पारेषण यूटिलिटी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना</u>

प्रत्येक पारेषण यूटिलिटी द्वारा प्रत्येक अपने नियंत्रणाधीन विद्युत प्रणालियों के संबंध में पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट की सात प्रतियां संलग्न अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में 31 अक्तूबर तक या इससे पहले पूर्ण विवरण सहित सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्तुत करनी होंगी ।

बशर्ते कि, प्रथम वार्षिक रिपोर्ट के साथ वित्तीय वर्ष जिसके लिए प्रथम वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, से तत्काल पहले के चार वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

संजीव एस. अहलूवालिया, सचिव

अनुसूची

वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश

भाग - एक

खंड- 1

1. वार्षिक रिपोर्ट दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी और अपेक्षित आंकड़े संलग्न अनुसूची के अनुसार तैयार किए जाएंगे । सभी निर्धारित फार्म और वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न फार्म हर तरह से पूर्ण होने चाहिए। तथापि, आयोग संबंधित पारेषण यूटिलिटी से अतिरिक्त सूचना/सहायक दस्तावेज/आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है जैसाकि आवश्यक समझा जाए ।

2. फार्मों/अनुसूचियों को पूरा करने के लिए केवल अरबी संख्याओं इस्तेमाल किए जाएंगे । जब तक कि विशेष रुप से न कहा जाए, सभी आंकड़े दो दशमल्व स्थान तक दिए जाएंगे ।

3. ऋणात्मक राशियों और आंकड़ों को कोष्ठक (ब्रैकेट) में चिन्ह द्वारा दर्शाया जाएगा ।

4. जब तक कि किसी विशेष रुप में इंगित करने के लिए न कहा जाए, आयोग द्वारा निर्धारित सभी ब्यौरे पारेषण यूटीलिटी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते समय पूरे कर लिए जाएंगे चाहे उक्त ब्यौरे पूर्व में भी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते समय प्रस्तुत किए गए हों ।

5. यदि किसी शीर्ष के अंतर्गत अपेक्षित ब्यौरे संबंधित पारेषण यूटिलिटी पर लागू न हों तो उसे पूर्ण शब्दों "लागू नहीं" द्वारा इंगित किया जाए ।

6. फार्मेट में तारीख/मास/वर्ष को दर्शाया जाए ।

7. पारेषण यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट में किसी संशोधन की अवस्था में रिपोर्ट के केवल परिवर्तित पृष्ठ ही पुनः प्रस्तुत किए जाएंगे । संशोधित पृष्ठों की सात प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी और प्रत्येक पृष्ठ पर लाल मुहर से प्रथम, द्वितीय ......(1,2...) संशोधन अंकित किया जाएगा । पुनः प्रस्तुत किए गए इन सभी पृष्ठों पर पुनः प्रस्तुत करने की तारीख दी जाएगी और इन पर मूल वार्षिक रिपोर्ट वाली ही पृष्ठ संख्या और अपेक्षित अनुलग्नक वर्ण-अनुक्रम रुप से दिए जाएंगे । संशोधन के स्वरुप तथा उसके कारणों को दर्शाने वाले आवरण-पत्र के साथ पुनः प्रस्तुत किए गए पृष्ठों की जानकारी एवं उनकी कुल संख्या दर्शाने वाली सूची भी संलग्न की जाएगी । तथापि आयोग यदि उपयुक्त समझे तो वह पारेषण यूटिलिटी से पूरी वार्षिक रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत करने को कह सकता है ।

8. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर आयोग निर्धारित प्रक्रिया से विपथन की अनुमति नहीं देगा । यदि किसी कारणवश पारेषण यूटिलिटी को निर्धारित प्रक्रिया से अलग कार्रवाई की आवश्यकता पड़ती है तो उक्त विपथन के कारणों से विस्तृत औचित्य सहित आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा ।

9. पारेषण यूटिलिटी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ें , सूचना, सहायक दस्तावेज एवं प्रमाण, सुस्पष्ट, संगत एवं तथ्यपूर्ण होने चाहिए । पारेषण यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत सूचना स्पष्ट एवं तथ्यपरक हो, यह सुनिश्चित करने के लिए

यूटिलिटी को उसके द्वारा दी गई सूचना और संबंधित प्रमाण के बीच पारस्परिक संबंध सुनिश्चित करना होगा। विभिन्न प्रारुपों (फार्मों) में निहित ब्यौरों के साक्ष्य में विस्तृत गणना जहां विशेष रुप से अपेक्षित हो या अन्यथा वांछनीय हो, अनुबंध के रुप में संलग्न की जाए ।

10. अनुबंधों में दिए विवरण सहित सभी प्रकार के वित्तीय आंकड़ों, सूचना आदि प्राधिकृत होने चाहिये अर्थात् रखरखाव की जा रही लेखा पुस्तिकाओं तथा अन्य रिकार्डों पर आधारित और कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा सत्यापित होने चाहिए । किसी व्यवसायिक लागत लेखाकार द्वारा आबास एवं संविभाजन प्रक्रिया समेत लागतों से संबंधित सभी प्रकार के आंकड़े और सूचना सत्य और सही सत्यापित होने चाहिए और लागत -आवंटन प्रक्रिया निष्पक्ष एवं तर्कसंगत होनी चाहिए ।

11. हालांकि प्रत्येक फार्म में आंवटन प्रक्रिया एवं सामान्य नैगम (मुख्यालय सहित) खर्चों हेतु आंवटित राशि, निर्माण एवं प्रचालन परियोजनाओं के अन्य सामान्य खर्चों, विदेशी मुद्रा भिन्नताओं, अन्तः प्रणाली/क्षेत्रीय अन्तरणों, निर्माण के दौरान पूंजीगत ब्याज आदि जैसी मदों के बारे में आंकड़े, सूचना आदि पूरी तरह एवं स्पष्ट रुप से देने अपेक्षित हो सकते हैं तथापि, सभी फार्मों जहां भी प्रासंगिक एवं लागू हों, के मामले में इस निर्देश को सामान्य नियम माना जा सकता है।

12. किसी क्षेत्र (उसी क्षेत्र में विभिन्न प्रणालियों) से संबंधित सामयिक वार्षिक रिपोर्ट तथा पिछली रिपोर्ट में महत्वपूर्ण भिन्नता पाए जाने पर या अपेक्षित होने पर स्पष्टीकरण एवं उनके कारण दिए जाएंगे । प्रतिकूल कार्य-निष्पादन या लागत संबंधी विकृति को नियंत्रित, निष्प्रभावी, प्रतिसंन्तुलित या निरादेशित करने हेतु किए गए उपायों का भी विवरण दिया जाएगा ।

13. प्रत्येक फार्म में दिए गए विशिष्ट निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा । जब तक इस आदेश में विशेष रुप से उल्लेख न किया जाए, विद्युत क्षेत्र से संबंधित आम इस्तेमाल होने वाले मापन मात्रकों अथवा विभिन्न मदों को व्यक्त करने वाले प्रारुपों का उपयोग किया जाना चाहिए ।

खंड- 2

प्रस्तुत किए जाने वाले सहायक दस्तावेज

निर्धारित फार्मों के अलावा, वार्षिक रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे । यदि वे किसी पिछली वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किए गए हों और उनमें निहित ब्यौरा अपरिवर्तित रहे तो इन्हें संलग्न करना आवश्यक नहीं है :

1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रति सहित मूल लागत तथा संशोधित लागत के लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की प्रति ।

2. उपयुक्त रुप से हस्ताक्षरित इंजीनियरी, प्रापण एवं निर्माण तथा पारेषण सेवा करारों एवं उनमें संशोधनों की प्रति।

3. परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृतियों और रुपए एवं विदेशी मुद्रा में ऋणों सहित वित्तपोषण हेतु अनुमोदित स्कीम के संबंध में नोडल मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त स्वीकृतियों तथा अपेक्षित संशोधनों की प्रति ।

4. वार्षिक रिपोर्ट में यथा-सन्दर्भित अधिसूचना, मानक या अन्य दस्तावेज की प्रति ।

5. प्रत्येक विद्युत प्रणाली/क्षेत्र और कंपनी के संबंध में लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा एवं सभी महत्वपूर्ण गणनाओं और लेखों पर टिप्पणियों तथा लेखा-परीक्षकों के प्रमाण-पत्र के पूरे सैट की प्रति ।

6. प्रचालित कार्यों या परियोजनाओं के संबंध में करार विशिष्टियों तथा परीक्षण रिपोर्टों के अनुसार प्रत्याभूत कार्यनिष्पादन की प्रति ।

खंड-3

* औसत आउटेज अवधि : यह सप्लाई न की गई कुल अनुमानित ऊर्जा (मेगावाट - मिनट में) को कुल हृसित लोड (मेगावाट) से भाग करने पर प्राप्त अनुपात को दर्शाती है ।
* सर्किट : यह विद्युत प्रणाली एक घटक है जिसमें एक शिरोपरि (ओवरहैड) लाइन, केबल, विद्युत ट्रांसफार्मर (द्वि-वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए टी.एफ.आर.2 ; त्रि-वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए टी.एफ.आर.-3) अथवा इन सबका समूह शामिल है जिसे सर्किट ब्रेकरों द्वारा अकार्यशील बनाया जा सकता है ।
* सर्किट की उपलब्धता : विशिष्ट समय अवधि के संदर्भ में इसे सर्किट की उपलब्धता के कुल घंटों को उक्त अवधि में घंटों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त अनुपात से दर्शाया जाता है ।
* संयोजन प्वाइंट : भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार, संयोजन प्वाइंट वह प्वाइंट है जहां पारेषण यूटिलिटी के संयंत्र या उपस्कर को अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से जोड़ा जाता है । आंकड़े प्रस्तुत करने के उद्देश्य से संयोजन प्वाइंटों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है ।

  श्रेणी "ए" संयोजन प्वाइंट : बसबार जिसे अरीय (रेडिअल) विद्युत प्रणाली के हिस्से के रुप में इस प्रकार प्रचालित किया जाता है कि श्रेणी "ए" बसबार के काम न करने पर काफी अधिक मात्रा में विद्युत की सप्लाई रुक जाती है ।

  श्रेणी "बी" संयोजन प्वाइंट : बसबार जिसे जालीनुमा ग्रिड/विद्युत प्रणाली के हिस्से के रुप में इस प्रकार प्रचालित किया जाता है कि श्रेणी "बी" बसबार के काम न करने पर काफी अधिक मात्रा में विद्युत की सप्लाई में अवरोध नहीं आता बल्कि विद्युत सप्लाई पर आंशिक असर पड़ता है।

  श्रेणी "जी" - जनरेटर संयोजन प्वाइंट : प्रत्येक संयोजन प्वाइंट से उच्च वोल्टता पर सम्बद्ध बसबार जो ग्रिड/विद्युत उत्पादन केन्द्र की विद्युत प्रणाली से जुड़ी होती है ।

श्रेणी "आई" अन्तः सम्बद्ध प्वाइंट : दो क्षेत्रों (या ग्रिडों/विद्युत प्रणालियों) के बीच विद्युत की काफी अधिक मात्रा के अंतरण से सम्बद्ध बसबार ।

श्रेणी "यू" उपभोक्ता सप्लाई प्वाइंट : उपभोक्ता संयोजन प्वाइंट से संबद्ध बसबार जहां उपभोक्ता के लोड पर काफी अधिक मात्रा में विद्युत सप्लाई की जाती है ।

जबरन बन्दी (आउटेज) (अथवा अनियोजित अनुपलब्धता) अवधि : यह प्रणाली में दोष आने या अन्य कारणों जिनके बारे में आयोजना नहीं की गई है, के कारण पारेषण यूटीलिटी के बंद रहने के वास्तविक घंटों की संख्या के बराबर होती है ।

अवरोध अवधि : विशिष्ट समयावधि के संदर्भ में यह मिनटों में दर्शायी जाने वाली वह कुल अवधि है जिसके दौरान कोई सप्लाई प्वाइंट बाधित रहता है, जब तक कि विद्युत सप्लाई पुनः चालू न कर दी जाए ।

अवरोध आवर्तिता : यह विशिष्ट समय अवधि के दौरान प्रति सर्किट (या सप्लाई प्वाइंट) अवरोधों की संख्या दर्शाती है।

लाइन : यह वह सर्किट होता है जिसमें एक शिरोपरि लाइन सर्किट ( ), केबल सर्किट ( ) , या दोनों सर्किट शामिल होते हैं ।

याचिका : से तात्पर्य सभी याचिकाएं, आवेदन, शिकायतें, अपीलें, पत्रोत्तर, प्रति-प्रत्योत्तर, पूरक पत्र, निवेदन, अन्य कागजात एवं दस्तावेज हैं ।

नियोजन बन्दी (आउटेज)या (अनुपलब्धता) अवधि : यह वह वास्तविक अवधि है जिसके दौरान कोई सर्किट पूर्व सूचना के आधार पर अकार्यशील रहता है अथवा बंदी के कारण काफी अधिक मात्रा में विद्युत सप्लाई बाधित रहती है । नियोजित अनुपलब्धता की तीन श्रेणियां निम्नानुसार हैं :-

1. पारेषण यूटीलिटी द्वारा अनुरक्षण कार्य के लिए नियोजित बंदी : ये वे बंदिया हैं जिन्हें ग्रिड या विद्युत प्रणाली के अनुरक्षण के उद्देश्य से अग्रिम रुप से एक निश्चित अवधि के लिए नियोजित किया जाता है ।

2. पारेषण यूटीलिटी द्वारा नियोजित निर्माण संबंधी बंदिया : ये वे बंदिया हैं जिन्हें ग्रिड या विद्युत प्रणाली के निर्माण या उसमें परिवर्तन के उद्देश्य से अग्रिम रुप से नियोजित किया जाता है और जिन्हें केवल विशिष्ट विद्युत सप्लाई उपभोक्ताओं के फायदे के लिए नियोजित नहीं किया जाता ।

3. उपभोक्ता कनेक्शन बन्दी : ये वे बंदिया हैं जिन्हें विद्युत उत्पादन केन्द्र, उपकेन्द्र या उपभोक्ता की विद्युत प्रणाली के निर्माण या उसमें परिवर्तन के उद्देश्य से अथवा विशिष्ट विद्युत सप्लाई उत्पादन केन्द्र प्रदान करने के उद्देश्य से अग्रिम रुप से नियोजित किया जाता है ।

विद्युत प्रणाली की उपलब्धता : इसे विद्युत प्रणाली के प्रत्येक सर्किट के कार्यशील रहने के कुल घंटों को संबंधित विद्युत प्रणाली में सर्किटों की संख्या विशिष्ट समयावधि के दौरान घंटों से भाग करने पर प्राप्त अनुपात से दर्शाया जाता है ।

विद्युत प्रणाली औसत अवरोध आवर्तिता सूचकांक (एस.ए.आई.एफ.आर.) :

प्रणाली के संदर्भ में यह विशिष्ट समयावधि के दौरान विद्युत सप्लाई प्वाइंटों पर सप्लाई में अवरोधों की कुल संख्या को उक्त प्रणाली से संबद्ध सप्लाई प्वाइंटों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त अनुपात है ।

नोट :- यह विशेष प्रकार के सप्लाई प्वाइंटों पर लागू होता है ।

विद्युत प्रणाली औसत अवरोध तथा अवधि सूचकांक (एस.ए.आई.डी.आई.) : किसी विद्युत प्रणाली के संदर्भ में यह विशिष्ट समयावधि के दौरान विद्युत सप्लाई प्वाइंट अवरोधों की कुल अवधि को संबंधित प्रणाली से सम्बद्ध सप्लाई प्वाइंटों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त अनुपात है ।

नोटः- यह विशिष्ट प्रकार के सप्लाई प्वाइंटों पर लागू होता है ।

पुनः प्रचालन समय : यह मिनटों में वह समय है जो एकल अवरोध के बाद किसी सप्लाई प्वाइंट पर काफी अधिक मात्रा में विद्युत सप्लाई चालू करने में लगता है ।

बिना सप्लाई की गई ऊर्जा : - यह श्रेणी "जी" या "यू" सप्लाई प्वाइंटों पर किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान कुल अवरोधों के कारण सप्लाई न की गई कुल ऊर्जा है और इसे मेगावाट-मिनट के रुप में दर्शाया जाता है ।

प्रणाली अवरोध तीव्रता सूचकांक (एस.आई.एस.आई.) किसी विद्युत प्रणाली के संदर्भ में यह विद्युत सप्लाई प्वाइंटों पर सप्लाई न की गई कुल ऊर्जा (मेगावाट - मिनट में) को उक्त प्रणाली पर रिकार्ड किए गए अधिकतम पीक लोड (मेगावाट) से भाग करने पर प्राप्त अनुपात है ।

भाग - दो

पहचान और सन्दर्भ

1	पारेषण यूटिलिटी का नाम
2	पता शहर : राज्य: दूरभाष : फैक्स : ई-मेल: सम्पर्क व्यक्ति का नाम : दूरभाष :
3	संस्था के निगमीकरण की तारीख :
4	पंजीकरण संख्या :
5	नाम या पते में परिवर्तन इंगित करें : पूर्व नाम : पूर्व पता : परिवर्तन की तारीख :

6. वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित पारेषण विद्युत प्रणाली का नाम		
संख्या	क्षेत्र	विद्युत प्रणाली
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		

भाग - तीन : निगम संबंधी वित्तीय एवं प्रचालनात्मक आंकड़े

वित्तीय वर्ष :

पारेषण यूटिलिटी का नाम :

वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत फार्मों, सहायक दस्तावेजों और साक्ष्यों की सूची

पारेषण युटिलिटी का नाम :

केस नं0 :

वित्तीय वर्ष :

फार्म	शीर्षक	पृष्ठ
000	सहायक साक्ष्यों की सूची (पारेषण युटिलिटी द्वारा सूचीबद्ध की जानी अपेक्षित	
	नैगम विवरण	
100	नैगम सामान्य सूचना	
101	31 मार्च की स्थिति के अनुसार नैगम तुलन-पत्र	
101क	निगम और सामान्य परिसम्पतियों/देयताएं/क्षेत्रीय आबंटन	
102	31 मार्च को समाप्त अवधि के संबंध में नैगम लाभ-हानि लेखा	
102क	नैगम एवं क्षेत्रीय स्तर पर सामान्य क्षेत्रीय आय/व्यय आबंटन	
102ख	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के संबंध में 31 मार्च को समाप्त अवधि के लिए आय एव व्यय का ब्यौरा	
103	ऋणों का ब्यौरा और क्षेत्र एवं विद्युत प्रणाली द्वारा आबंटन-संक्षिप्त विवरण	
103क	वित्त एवं प्रभारित ब्याज संबंधी ब्यौरा और विद्युत प्रणाली द्वारा आबंटन-संक्षिप्त विवरण	
103ख	ऋण और उधार-शर्तें एवं निबन्धन	
104	विद्युत प्रणालियों के बन्द रहने के संदर्भ में क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों का वित्तीय ब्यौरा-उत्तरी क्षेत्र-1	
104	विद्युत प्रणालियों के बन्द रहने के संदर्भ में क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों का वित्तीय ब्यौरा-उत्तरी क्षेत्र-2	
104	विद्युत प्रणालियों के बन्द रहने के संदर्भ में क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों का वित्तीय ब्यौरा-पूर्वी क्षेत्र	
104	विद्युत प्रणालियों के बन्द रहने के संदर्भ में क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों का वित्तीय ब्यौरा-पश्चिमी क्षेत्र	
104	विद्युत प्रणालियों के बन्द रहने के संदर्भ में क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों का वित्तीय ब्यौरा-दक्षिणी क्षेत्र	
104	विद्युत प्रणालियों के बन्द रहने के संदर्भ में क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों का वित्तीय ब्यौरा-उत्तर पूर्वी क्षेत्र	
105	सामान्य और नैगम लागत आबंटन विधियां	
106	विभिन्न स्तरों पर लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि के संबंध में सहायक अनुसूचियों की सूची प्रस्तुत की जाए	

सहायक साक्ष्यों की सूची

पारेषण युटिलिटी का नामः

वित्तीय वर्ष

सं0	प्रस्तुत साक्ष्यों का संदर्भ या विवरण	साक्ष्य सं0

प्रत्येक प्रस्तुत साक्ष्य, संबंधित फार्म के अनुरूप होगा और उसे एक संख्या (तीन अंकों की) दी जाएगी जो साक्ष्य की संदर्भ संख्या होगी ।
साक्ष्य सं0 : **X-X.x-009-**अनुसूची **X**उप-खण्ड **X.x,** साक्ष्य सं. 009 को सन्दर्भित करने वाला साक्ष्य

	शीर्षक या साक्ष्य का संदर्भ	साक्ष्य सं0
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

फार्म 100 : नैगम सामान्य सूचना

वित्तीय वर्ष : पारेषण युटिलिटी का नाम:

शीर्षक और अनुसूची का विवरण | साक्ष्य सं०

क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली स्तर पर सूचित न किए जाने की अवस्था में नीचे इंगित मामलों से संबंधित जानकारी फार्म-1 में दें। विवरण स्पष्ट तथा तथ्यपरक होना चाहिए और प्रश्न के अनुसार उसे संख्या दी जानी चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये। यदि अपेक्षित ब्यौरा शून्य या संबंधित पारेषण युटिलिटी पर लागू न हो तो **'कोई नहीं'** पर लागू न हो तो **'लागू नहीं'** इंगित किया जाना चाहिये।

1 **वित्तीय वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणियां या परिवर्तन**

1.1 सरकारी निकायों की ओर से जारी नई अधिसूचनाओं संबंधी संदर्भ जो आवेदक के कार्यकलापों को प्रभावित करते है। संदर्भ उपलब्ध कराएं और साक्ष्यों के साथ अधिसूचनाओं की प्रति प्रस्तुत करें।

1.2 निगमीकरण या स्वामित्व संबंधी अनुच्छेदों में परिवर्तन प्रत्यर्थी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित सभी निगमों या समान संगठनों के नाम सहित स्वामित्व स्वरूप में परिवर्तन बताएं।

1.3 अन्य कानूनी परिवर्तन या प्रक्रियाएं विषय की दृष्टि से महत्वपूर्ण कानूनी मामलों अथवा आवेदक के अधिकारों में उन परिवर्तनों का उल्लेख करें जो टैरिफ को प्रभावित करते हों।

1.4 संबद्ध परिसम्पत्तियों या सुविधाओं की खरीद या बिक्री सम्पत्तियों, सुविधाओं या अन्य परिसम्पत्तियों और उनसे संबद्ध कारोबारी कार्यकलापों, उन्हें प्राधिकृत करने वाले निकाय के नाम और उक्त प्राधिकरण कार्यवाही के संदर्भ का संक्षिप्त ब्यौरा दें।

1.5 विद्यमान परिसम्पत्तियों या सुविधाओं में विस्तार (नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण सहित) अथवा कमी बढ़ोत्तरी या कमी की मात्रा कार्यकलापों को शुरू करने या समाप्त करने की तारीख और संबंधित अधिसूचना यदि कोई हो, का संदर्भ दें।

1.6 निर्माणाधीन परिसम्पत्तियां या सुविधाएं चल रही परियोजनाओं की स्थिति, उनकी कार्य-अनुसूची एवं समुपयोजित बजट की तुलना में प्राप्त प्रगति, विभिन्न प्रणालियों के वाणिज्यिक प्रचालन की प्रत्याशित तारीख तथा अन्य संबंधित सूचना का ब्यौरा दें।

1.7 पर्यावरण संबंधी मुद्दे आवेदक के विरुद्ध किसी महत्वपूर्ण मामले का संक्षिप्त एवं विषयपरक ब्यौरा दें

1.8 अन्य सामान्य सूचना जिसकी केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को जानकारी होनी चाहिये।

2 **लेखा संबंधी नीतियां और लेखा-परीक्षक का प्रमाण-पत्र।**

2.1 लेखा संबंधी नीति और उससे अलग हटकर कार्यवाही, यदि कोई हो, का विवरण दें। साथ ही, उसका औचित्य भी दें, यदि पहले उल्लेख न किया गया हो।

2.2 लेखा टिप्पणियों के संबंध में विवरण दें, पहले उल्लेख न किया गया हो।

2.3 भाग-एक के खण्ड-1 के पैरा-10 में यथा-संदर्भित लेखा-परीक्षक का प्रमाण-पत्र

फार्म-101 : 31 मार्च की स्थिति के अनुसार नैगम तुलन-पत्र

वित्तीय वर्ष : पारेषण युटिलिटी का नाम :

निर्देश

1 कॉलम(1) मे आकडे, विद्युत प्रणालियों के आकड़ों के योग के अनुसार होने चाहिए(फार्म 20(ए) का कालम(1) देखें

2 कॉलम(2) तथा(3) के आकड़ो का क्षेत्रवार अलग अलग ब्योरा फार्म 101(ए) मे दिया जाना चाहिये ।

विवरण	विद्युत प्रणालियों की परिसम्पत्तिया /देयताए	क्षेत्रीय सामान्य परिसम्पत्तिया /देयताए	नैगम सामान्य परिसम्पत्तिया एव देयताए	उप-जोड (1+2+3)	अनाबटित परिसम्पत्तिया /देयताएं (सयुक्त -उपक्रम या अन्य कारोबार	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	सकल जोड़ (4+5+6)
	(लाख मे)	(लाख मे)	(लाख मे)	(लाख मे)	(लाख मे)	(लाख मे)	(लाख मे)
निधियों के स्रोत 1. शेयरधारियो की निधिया पूजीगत जमा रक्षित राशि तथा अधिशेष राशि							
2. ऋण निधिया							
(क) रक्षित ऋण							
(ख) अनारक्षित ऋण							
3ए क)मूल्यहास यदि कोई हो, की तुलना मे अग्रिम पर प्राप्त आय							
3बी अन्त यूनिट लेखा							
निधियों का नियोजन							
4 सावधि पूजीगत व्यय							
क) सकल ब्लॉक							
ख)सचयी मूल्यहास							
ग)निवल ब्लाक							
घ)चल रहे पूंजीगत कार्य							
ड)निर्माण भण्डार एव अग्रिम							
च) निवेश							
5 वर्तमान परिसम्पत्तिया ऋण और अग्रिम							
क) माल सूची							
ख)विविध देनदार							
ग)रोकड़ तथा बैंक में जमा शेष							
घ) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तिया							
ड) ऋण तथा अग्रिम							
6 घटा वर्तमान देयताए और प्रावधान							
क) देयताए							
ख) प्रावधान							
7 निवल वर्तमान परिसम्पत्तियां							
8 विविध व्यय (बट्टे- खाते या समायोजित न किए जाने की सीमा तक							
9. आकस्मिक देयताएं							

फार्म १०१ ए: नैगम तथा सामान्य परिसम्पत्तियों/देयताएं क्षेत्रिय आबंटन

वित्तिय वर्ष   पारेषण युटिलिटी का नाम

निदेश

१. सामान्य क्षेत्रिय परिसम्पत्तियों आदि तथा सामान्य नैगम परिसम्पत्तियों आदि से संबधित सभी क्षेत्रों के आंकडे, फार्म-१०१ के क्रमश: कॉलम २ तथा ३के आकडो के अनुसार होने चाहियें ।

विवरण	सामान्य नैगम परिसम्पत्तियां / देयताएं						सामान्य नैगम परिसम्पत्तिया / देयताए					
	उत्तरी क्षेत्र -१	उत्तरी क्षेत्र-२	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमि क्षेत्र	दक्षिणि क्षेत्र	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र-१	उत्तरी क्षेत्र-२	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणि क्षेत्र	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
	लाख मे	लाख मे	लाख मे	लाख मे	लाख मे	लाख मे	लाख मे	लाख मे	लाख मे	लाख मे	लाख मे	लाख मे
निधियों के स्रोत												
१. शेयरधारियों की निधियां												
पूंजीगत जमा												
प्रारक्षित राशि तथा अधिशेष राशि												
२. ऋण निधियां												
क रक्षित , ऋण												
ख अनारक्षित, ऋण												
३ए मूल्यह्रास यदि कोइ हो की तुलना में अग्रिम प्राप्त आय												
३बी अंतर इकाई खाता पूंजी उपयोग												
४ सावधि पूंजीगत व्यय												
क सकल ब्लॉक												
ख संचयी मूल्यह्रास												
ग निबल ब्लॉक												
घ चल रहे पूंजीगत कार्य												
ड निर्माण भण्डार एवं अग्रिम												
च निवेश												
५ वर्तमान परिसम्पत्तियां ऋण और अग्रिम												
क माल सूची												
ख विविध देनदार												
ग रोकड तथा बैंक में जमा शेष												
घ अन्य वर्तमान परिसम्पत्तिया												
ड ऋण तथा अग्रिम												
६ घटा वर्तमान देयताएं और प्रावधान												
क देयताए												
ख प्रावधान												
७ निबल वर्तमान परिसम्पत्तियां												
८ विविध व्यय बटटे खाते या समायोजित न किये जाने की सीमा तक												
९ आकस्मिक देयताएं												

फार्म 102 31 मार्च को समाप्त अवधि के लिए लाभ हानि लेखा

वित्तीय वर्ष पारेषण यूटिलिटी का नाम

निर्देश कॉलम 1 में आकड़े, विद्युत प्रणालियों के आकड़ों के योग के अनुसार होने चाहिये (फार्म 21-ए का कॉलम (1) देखें)
कॉलम (2) तथा (3) में दिए आकड़ों के संबंध में विभिन्न शीर्षों में खर्चों का विस्तृत अलग-अलग ब्यौरा फार्म 102 ए में दिया जाना चाहिये
कॉलम (6) में दिए आकड़ों के संबंध में विभिन्न शीर्षों में खर्चों का विस्तृत अलग अलग ब्यौरा फार्म 102-बी में दिया जाना चाहिये ।

विवरण	विद्युत प्रणालियों की आय तथा व्यय	क्षेत्रीय सामान्य आय तथा व्यय	ग्राम सामान्य आय तथा व्यय	उप जोड़ (1+2+3)	अनावंटित आय तथा (संयुक्त उपक्रम अथवा अन्य कारोबार	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों की आय तथा व्यय	सकल जोड़ (4+5+6)
	(लाख)	(लाख)	(लाख)	(लाख)	(लाख)	(लाख)	(लाख)
आय							
1 पारेषण प्रभार							
2 (कर वसूली)							
3 क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र शुल्क आदि							
4 विद्युत की बिक्री							
5 परामर्शी सेवाओं पी एम तथा पर्यवेक्षण शुल्क							
6 अन्य आय (विशिष्ट रूप से इंगित किया जाए							
7 जोड़ (1-6)							
व्यय							
8 विद्युत की खरीद यदि कोई हो							
9 पारेषण प्रशासन तथा अन्य व्यय							
10 मूल्यह्रास							
11 पूर्व अवधि समायोजन (निवल)							
12 अन्य(ऊपर शामिल न किए गए(विशेष रूप से उल्लेख करें							
13 उप जोड़ (8-12)							
14 घटा निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय-चल रहे पूंजीगत कार्यों को अंतरित व्यय							
15 उप-जोड़ (13-14)							
16 बट्टे-खाते डाला गया स्थगित राजस्व व्यय							
17 प्रावधान							
18 समाप्त की गई अचल परिसम्पत्तियों के संदर्भ में हानि							
19 राजस्व में प्रभारित सी.सी. व्यय							
20 राजस्व में प्रभारित आर.ओ./ई.डी. कार्यालय व्यय							
21 राजस्व में प्रभारित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र व्यय							
22 जोड़ (15+16से21)							
23 वर्ष के दौरान लाभ (ब्याज तथा वित्तीय प्रभारों से पूर्व (7-22)							
24 ब्याज तथा वित्तीय 25 घटा सी.डब्ल्यू.आई.पी. को अंतरित ब्याज एवं वित्तीय प्रभार							
26 उप-जोड़(24-25)							
27 वर्ष के दौरान लाभ (कर-पूर्व)(23-26)							
28 कराधान हेतु प्रावधान							
29 कर अदायगी के बाद लाभ (27-28)							
30 पिछले वर्ष के लेखा से अधिशेष लाभ							
31 प्रस्तावित प्रतिलाभ							
32 प्रस्तावित प्रतिलाभ पर कर							
33 बांड विमोचन हेतु आरक्षित पूंजी को अंतरण							
34 स्व बीमा हेतु आरक्षित पूंजी को अंतरण							
35 सामान्य आरक्षित पूंजी को अंतरण							
36 तुलन पत्र में ले जाया गया लाभ अधिशेष (29+30-31-35)							

फार्म 102 ए नैगम और सामान्य आय/व्यय क्षेत्रीय आबंटन

वित्तीय वर्ष

पारेषण युटिलिटी का नाम :

निदेश : 1 सामान्य क्षेत्रीय आय आदि और सामान्य नैगम आय आदि के संबंध में सभी क्षेत्रों के आकड़ों का योग, फार्म 102 में क्रमश: कॉलम(2) तथा(3) के अन्तर्गत संबंधित मदों के सामने दिए गए आकड़ों के अनुसार होना चाहिए ।

विवरण	नैगम आय/व्यय						सामान्य क्षेत्रीय आय/व्यय					
	उत्तरी क्षेत्र-1	उत्तरी क्षेत्र 2	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	उ0पूर्वी क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र 1	उत्तरी क्षेत्र-2	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	उ0पूर्वी क्षेत्र
	(लाख में)	(लाख में)	(लाख में)	(लाख में)	(लाख में)	(लाख में)	(लाख में)	(लाख में)	(लाख में)	(लाख में)	(लाख में)	(लाख में)
आय												
1. पारेषण प्रभार												
2. (कर वसूली)												
3. विद्युत की बिक्री												
4. परामर्शी सेवाएं, पी एम तथा पर्यवेक्षण शुल्क												
5. अन्य आय (यदि महत्वपूर्ण हो तो निर्दिष्ट की जाए)												
6. जोड़ (1-5)												
व्यय												
7. विद्युत की खरीद												
पारेषण प्रशासनिक एवं अन्य व्यय												
8. कर्मचारियों संबंधी व्यय												
पारेषण व्यय												
9. मरम्मत एवं अनुरक्षण												
10. विद्युत प्रभार (निदेशन)												
11. उपयोग की गई भण्डार सामग्री तथा फुटकर पुर्जे												
12. जल प्रभार												
13. विद्युत सप्लाई प्रभार												
14. अन्य (ऊपर शामिल न किए गए तथा इंगित करने अपेक्षित)												
15 उप जोड़ (8-14)												
प्रशासनिक व्यय												
16. प्रशिक्षण और नियुक्ति संबंधी व्यय												
17. विधि कार्य संबंधी व्यय												
18. व्यावसायिक प्रभार												
19. परामर्शी सेवाओं संबंधी व्यय												
20. संचार सुविधाओं संबंधी व्यय												
21. यात्रा व्यय												
22. टेंडर संबंधी व्यय												
23. लेखा परीक्षकों संबंधी व्यय												

फार्म 102 ए: नैगम और सामान्य आय/व्यय क्षेत्रीय आबंटन

वित्तीय वर्ष

पारेषण युटिलिटी का नाम

निर्देश 1. सामान्य क्षेत्रीय आय आदि और सामान्य नैगम आय आदि के संबंध में सभी क्षेत्रों के आंकड़ों का योग, फार्म 102 में क्रमश: कालम(2) तथा(3) के अन्तर्गत संबंधित मदों के सामने दिए गए आंकड़ों के अनुसार होना चाहिए ।

विवरण	नैगम आय/व्यय						सामान्य क्षेत्रीय आय/व्यय					
24 विज्ञापन तथा प्रचार												
25 प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी												
26 ईडीपी किराया तथा अन्य प्रभार												
27 मनोरंजन संबंधी व्यय												
28 दलाली												
29 दान												
30 अनुसंधान तथा विकास व्यय(अनुदान को छोड़कर)												
31 किराया												
32 निर्माण संबंधी भण्डार सामग्री(बट्टे खाते डाली गई)												
33 अरक्षवा निर्माण कार्य(बट्टे खाते डाला गया)												
34 विधिक व्यय(निदेशक के शुल्क को छोड़कर)												
35 बीमा												
36 दर तथा कर												
37 गैर प्रचालनात्मक व्यय												
38 अतिथि गृह संबंधी व्यय												
39 अन्य(ऊपर शामिल न किए गए और विशेष रूप से निर्दिष्ट किए जाने अपेक्षित)												
40 उप-जोड़(16-39)												
41 उप जोड़(7+15+40)												
42 मूल्यह्रास												
43 पूर्व अवधि समायोजन(निवल)												
44 उप-जोड़(41 से 43)												
45 घटा-सी डब्ल्यू आईपी को अंतरित आईईडीसी												
46 उप जोड़(44-45)												
47 प्रावधान												
48 ब्याज तथा वित्तीय प्रभार												
49 घटा - सी डब्ल्यू आई पी को अंतरित आईईडीसी												
50 उप-जोड़(48-49)												
51 कुल व्यय(46+47+50)												

फार्म102 बी. क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र की 31 मार्च को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय

वित्तीय वर्ष :

पारेषण युटिलिटी का नाम:

क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र से सम्बद्ध आय/व्यय का ब्यौरा दें। मदों के आगे आंकड़े यदि सम्बद्ध या लागू न हों तो उन्हें शून्य दर्शाया जाए।

स0	विवरण	कुल क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	उत्तरी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
		(लाख में)	(लाख में)	(लाख में)	(लाख में)	(लाख में)	(लाख में)
	आय						
1	पारेषण प्रभार						
2	(कर वसूली)						
3	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र शुल्क आदि						
4	परामर्शी सेवाएं,पीएम तथा पर्यवेक्षण शुल्क						
5	अन्य आय (यदि महत्वपूर्ण हो तो निर्दिष्ट की जाए						
6	जोड़ (1-5)						
	व्यय						
7	विद्युत की खरीद						
	पारेषण, प्रशासनिक एवं अन्य व्यय						
8	कर्मचारियों संबंधी व्यय						
	पारेषण व्यय						
9	मरम्मत एवं अनुरक्षण						
10	विद्युत प्रभार (निवल)						
11	उपयोग की गई भण्डार सामग्री तथा फुटकर पुर्जे						
12	जल प्रभार						
13	विद्युत सप्लाई प्रभार						
14	अन्य(ऊपर शामिल न किए गए तथा इंगित करने अपेक्षित						
15	उप जोड़(8-14)						
	प्रशासनिक व्यय						
16	प्रशिक्षण और नियुक्ति संबंधी व्यय						
17	विधि कार्य संबंधी व्यय						
18	व्यवसायिक प्रभार						
19	परामर्शी सेवाओं संबंधी व्यय						
20	संचार सुविधाओं संबंधी व्यय						
21	यात्रा व्यय						
22	टैंडर संबंधी व्यय						
23	लेखा-परीक्षकों संबंधी व्यय						
24	विज्ञापन तथा प्रचार						
25	प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी						
26	ईडीपी किराया तथा अन्य प्रभार						
27	मनोरंजन संबंधी व्यय						
28	दलाली						
29	दान						
30.	अनुसंधान तथा विकास व्यय(अनुदान को छोड़कर)						
31	किराया						
32	निर्माण संबंधी भण्डार सामग्री(बट्टे खाते डाली गई)						
33	अस्थायी निर्माण कार्य(बट्टे खाते डाला गया)						
34	विविध व्यय(निदेशक के शुल्क को छोड़कर)						
35	बीमा						
36	दर तथा कर						
37	गैर-प्रचालनात्मक व्यय						
38	अतिथि-गृह संबंधी व्यय						
39	अन्य(ऊपर शामिल न किए गए और विशेष रूप से निर्दिष्ट किए जाने अपेक्षित,						
40	उप जोड़(16-39)						
41	**उप जोड़(7+15+40)**						
42	मूल्यह्रास						
43	पूर्व अवधि समायोजन(निवल)						
44	उप जोड़(41 से 43)						
45	घटा सी डब्ल्यू आईपी को अंतरित आईईडीसी						
46	उप जोड़(44-45)						
47	प्रावधान						
48	ब्याज तथा वित्तीय प्रभार						
49	घटा सी डब्ल्यू आई पी को अंतरित आईईडीसी						
50	उप जोड़(48-49)						
51	कुल व्यय(46+47+50)						

फार्म-103 : ऋणों का ब्यौरा और क्षेत्र तथा विद्युत प्रणाली द्वारा आबंटन-संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष पारेषण यूटिलिटी का नाम

निदेश: ऋणों का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दें (आवश्यक हो तो और कालम जोड़ें)। अधिक अवधि के ऋणों को सम्मिलित न किया जाए चाहे वे एक ही ऋणदाता से संबंधित हों अर्थात् एक ही ऋणदाता से संबंधित वर्तमान एवं नए ऋणों को अलग अलग दर्शाया जाए

क्र0	ऋण का नाम और सन्दर्भ		ऋण/बांड 1	ऋण/बांड-2	ऋण/बांड-3	ऋण/बांड-4	ऋण/बांड-5	ऋण/बांड-6	सकल जोड़
1.	मुद्रा x मूल्यवर्ग								
2.	जारी करते समय विदेशी मुद्रा दर								
3.	वित्तीय वर्ष के आरम्भ में कुल (विदेशी मुद्रा)								
4.	वित्तीय वर्ष के दौरान मूल की अदायगी/पुनः खरीद (विदेशी मुद्रा)								
5.	वित्तीय वर्ष के अन्त में कुल (विदेशी मुद्रा)								
6.	आरम्भ में कुल	(लाख रुपये)							
7.	वित्तीय वर्ष के दौरान मूल की अदायगी/पुनः खरीद	(लाख रुपये)							
8.	वित्तीय वर्ष के अन्त में कुल (6-7)	(लाख रुपये)							
9.	विदेशी मुद्रा के सन्दर्भ में ऋण संबंधी कुल समायोजन (8 को छोड़कर)	(लाख रुपये)							
10.	सी डब्ल्यू आई पी को अंतरित ऋण संबंधी कुल समायोजन (9 को छोड़कर)	(लाख रुपये)							
11.	कार्यशील परिसम्पत्तियों से संबंधित ऋण संबंधी शेष समायोजन	(लाख रुपये)							
	कुल ऋण आबंटन (ऊपर लाइन-8 में उल्लिखित राशि)								
क्षेत्र	इनसे संबंधित								
उत्तरी 1	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	(लाख रुपये)							
	संयुक्त रूप से	(लाख रुपये)							
	विद्युत प्रणालियां	(लाख रुपये)							
	निर्माण स्कीम	(लाख रुपये)							
उत्तरी 2	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	(लाख रुपये)							
	संयुक्त रूप से	(लाख रुपये)							
	विद्युत प्रणालियां	(लाख रुपये)							
	निर्माण स्कीमें	(लाख रुपये)							
पूर्वी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	(लाख रुपये)							
	संयुक्त रूप से	(लाख रुपये)							
	विद्युत प्रणालियां	(लाख रुपये)							
	निर्माण स्कीमें	(लाख रुपये)							
पश्चिमी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	(लाख रुपये)							
	संयुक्त रूप से	(लाख रुपये)							
	विद्युत प्रणालियां	(लाख रुपये)							
	निर्माण स्कीमें	(लाख रुपये)							
दक्षिणी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	(लाख रुपये)							
	संयुक्त रूप से	(लाख रुपये)							
	विद्युत प्रणालियां	(लाख रुपये)							
	निर्माण स्कीमें	(लाख रुपये)							
उत्तर-पूर्वी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	(लाख रुपये)							
	संयुक्त रूप से	(लाख रुपये)							
	विद्युत प्रणालियां	(लाख रुपये)							
	निर्माण स्कीमें	(लाख रुपये)							
कुल ऋण		(लाख रुपये)							

फार्म 103–ए : वित्त एवं ब्याज प्रभार का ब्यौरा और विद्युत प्रणाली द्वारा आंवटन – संक्षिप्त विवरण ।

वित्तीय वर्ष

पारेषण युटिलिटी का नाम :

निर्देश :– फार्म 103 के अनुसार ऋणों से सम्बद्ध ब्याज एवं वित्त प्रभारों का विवरण दें (आवश्यक होने पर और कालम जोड़े जा सकते हैं)

सं	ऋण का नाम और संदर्भ		ऋण/बांड–1	ऋण बांड–2	ऋण/बांड–3	ऋण/बांड–4	ऋण/बांड–5	ऋण/बांड-6	सकल जोड़
1	प्रोद्‌भूत एवं देय ब्याज तथा वित्त प्रकार	(लाख रू)							
2	प्रोद्‌भूत परन्तु अदेय ब्याज एवं वित्त प्रकार	(लाख रू)							
3	उपजोड़ (1+2)	(लाख रू)							
4	उपर्युक्त 4 में से सी डब्ल्यू आई पी को अंतरित	(लाख रू)							
5	पी.एंड एल. लेखा को कुल प्रभारित (4–5)	(लाख रू)							
6	वास्तव में भुगतान किये ब्याज एवं वित्त प्रभार	(लाख रू)							
आवंटित वित्त एवं ब्याज प्रभार (पंक्ति 3)									
क्षेत्र	जिनसे सम्बन्धित हैं								
उत्तरी- 1	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	(लाख रू)							
	संयुक्त रूप से	(लाख रू)							
	विद्युत प्रणालियां	(लाख रू)							
	निर्माण स्कीमें	(लाख रू)							
उत्तरी- 2	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	(लाख रू)							
	संयुक्त रूप से	(लाख रू)							
	विद्युत प्रणालियां	(लाख रू)							
	निर्माण स्कीमें	(लाख रू)							
पूर्वी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	(लाख रू)							
	संयुक्त रूप से	(लाख रू)							
	विद्युत प्रणालियां	(लाख रू)							
	निर्माण स्कीमें	(लाख रू)							
पश्चिमी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	(लाख रू)							
	संयुक्त रूप से	(लाख रू)							
	विद्युत प्रणालियां	(लाख रू)							
	निर्माण स्कीमें	(लाख रू)							
दक्षिणी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	(लाख रू)							
	संयुक्त रूप से	(लाख रू)							
	विद्युत प्रणालियां	(लाख रू)							
	निर्माण स्कीमें	(लाख रू)							
उत्तर पूर्वी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	(लाख रू)							
	संयुक्त रूप से	(लाख रू)							
	विद्युत प्रणालियां	(लाख रू)							
	निर्माण स्कीमें	(लाख रू)							
जोड़	ब्याज आवंटन	(लाख रू)							

फार्म 103 बी : ऋण तथा बांड : शर्तें एवं निबन्धन

वित्तीय वर्ष	पोरषण युटिलिटी का नाम :

निर्देश :–

1 इस फार्म में फार्म 103 में दिए अनुसार, मूल रूप से नियत और वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया ऋणों के संबंध में विस्तृत शर्तों एवं निबन्धनों का ब्यौरा दिया जाना अपेक्षित है ।

2 कालम 3(क), 3 (ख) आदि में उल्लिखित विभिन्न ऋणों के संबंध में कालम 2 के नीचे क्र. सं. (क) से (ड) के सामने शर्तों एवं निबन्धनों के बारे में विशिष्ट सूचना दी जानी चाहिए ।

3 अभ्युक्ति कालम का ऋणों से सम्बन्धित शर्तों एवं निबन्धनों में परिवर्तनों तथा इन तथ्यों को बताने के लिए उपयोग किया जा सकता है कि क्या ऋण किसी विशिष्ट प्रणाली / लाईन /परियोजना के लिए है अथा नैगम स्तर पर परियोजनाओं / प्रणालियों / लाईनों के किसी समूह के लिए है और संबन्धित प्रणाली / परियोजना /लाईन हेतु उक्त ऋण के आवंटन का आधार क्या है ।

4 कालम 2 में दी गई शर्तें एवं निबन्धन निर्देशन प्रकार के हैं न कि सम्पूर्ण और इसलिए जहां लागू एवं आवश्यक हो, प्रत्येक ऋण /उधार के बारे में कालम (3) (क) में सूचना दी जानी चाहिए ।

5 अनारक्षित ऋणों तथा बांडों के सम्बन्ध में भी समान फार्म उपयोग किये जा सकते हैं । इन मामलों में, मानक शर्तों एवं निबन्धनों वाले कालम (2) में आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं ।

	ऋणों की शर्तें एवं निबन्धन	विभिन्न ऋणों के मामलों में कालम (2) में यथा उल्लिखित शर्तों एवं निबन्धनों के संबंध में विशिष्ट विवरण				अभ्युक्ति
1	2	3क	3ख	3ग	3घ	4
क)	ऋण का नाम और स्रोत					
ख)	ऋण की निर्दिष्ट मुद्रा					
ग)	विनिमय दर (विदेशी मुद्रा में ऋण के मामले में)					
घ)	विदेशी मुद्रा में राशि (विदेशी मुद्रा में ऋण के मामले में)					
ड)	ऋण की राशि (भारतीय रूपये में)					
च)	तारीख (तारीखें जब लिया गया) 1 2 3 4					
छ)	ली गई राशि 1 2 3 4					
ज)	ऋण स्थगन / माफी अवधि					
झ)	ऋण स्थगन शुरू होने की तारीख					
ट	अदायगी सम्बन्धी ब्यौरा 1 आरम्भ की तारीख 2 किश्तों की संख्या 3 किश्त की राशि 4 अदायगी का तरीका					
ठ	ब्याज दर 1 मूल दर 2 संयोजन की आवधिकता 3 दण्डात्मक ब्याज दर					
ड	वित्तपोषण एवं प्रेषण प्रभार 1 वचनबद्धता शुल्क 2 अग्रफ्रन्ट शुल्क 3 ई सी ए प्रीमियम 4 अन्य (विशेष रूप से उल्लेख करें)					

फार्म 104 : क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों का वित्तीय ब्यौरा – विद्युत प्रणालियों की बन्दी – उत्तरी क्षेत्र –1

वित्तीय वर्ष :

पारेषण युटिलिटी का नाम :

निर्देशः– नीचे दिया जाने वाला विवरण लेखा परीक्षित लाभ हानि और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए फार्म 101–ए तथा 102–ए और प्रत्येक विद्युत प्रणाली के लिए फार्म 20, 20ए, 21 एवं 21ए के संबंधित कालमों के संदर्भ में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत लाईन 1 से 14 के सामने दिये गए आंकड़ों के अनुसार होना चाहिए ।

		लाभ–हानि लेखा संक्षिप्त ब्यौरा							तुलन पत्र संक्षिप्त ब्यौरा				
सं.	विद्युत प्रणाली का नाम	पारेषण प्रभार	विद्युत की बिक्री, शुल्क तथा अन्य आय	कर्मचारियों, पारेषण, प्रशासन संबंधी व्यय, घटा: सी.डब्ल्यू.आई पी. को अंतरित	मूल्यहास	ब्याज तथा करो से पहले लाभ	ब्याज तथा वित्तीय प्रभार घटा: सी. डब्ल्यू. आई पी. को अंतरित	कर के लिए प्रावधान	शेयरधारियों की निधियां (इक्विटी)	ऋण निधियां	निवल ब्लाक	वर्तमान परिसम्पत्तियां ऋण तथा अग्रिम	वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान
		(लाख में) (1)	(लाख में) (2)	(लाख में) (3)	(लाख में) (4)	(लाख में) (5)	(लाख में) (6)	(लाख में) (7)	(लाख में) (8)	(लाख में) (9)	(लाख में) (10)	(लाख में) (11)	(लाख में) (12)
	उत्तरी क्षेत्र–1												
1	समान क्षेत्रीय												
2	विद्युत प्रणालिया												
3	पी एस–1												
4	पी एस–2												
5	पी एस–3												
6	पी एस–4												
7	पी एस–5												
8	पी एस–6												
9	पी एस–7												
10	पी एस–8												
11	पी एस–9												
12	उप–जोड़ विद्युत प्रणालियां												
13	निगम –आवंटित												
14	जोड़ –क्षेत्रीय												

फार्म 104 : **क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों का वित्तीय ब्यौरा – विद्युत प्रणालियों की बन्दी – उत्तरी क्षेत्र –2**

वित्तीय वर्ष :

पारेषण युटिलिटी का नाम :

निर्देश:– नीचे दिया जाने वाला विवरण लेखा परीक्षित लाभ हानि और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए फार्म 101–ए तथा 102–ए और प्रत्येक विद्युत प्रणाली के लिए फार्म 20, 20ए, 21 एवं 21ए के संबंधित कालमों के संदर्भ में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत लाईन 1 से 14 के सामने दिये गए आंकड़ों के अनुसार होना चाहिए ।

सं.	विद्युत प्रणाली का नाम	लाभ–हानि लेखा संक्षिप्त ब्यौरा							तुलन पत्र संक्षिप्त ब्यौरा				
		पारेषण प्रभार	विद्युत की बिक्री, शुल्क तथा अन्य आय	कर्मचारियों, पारेषण, प्रशासन संबंधी व्यय, घटा: सी.डब्ल्यू.आई.पी. को अंतरित	मूल्यहास	ब्याज तथा करो से पहले लाभ	ब्याज तथा वित्तीय प्रभार घटा: सी. डब्ल्यू. आई.पी. को अंतरित	कर के लिए प्रावधान	शेयरधारियों की निधियां (इक्विटी)	ऋण निधियां	निवल ब्लाक	वर्तमान परिसम्पत्तियां ऋण तथा अग्रिम	वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान
		(लाख में) (1)	(लाख में) (2)	(लाख में) (3)	(लाख में) (4)	(लाख में) (5)	(लाख में) (6)	(लाख में) (7)	(लाख में) (8)	(लाख में) (9)	(लाख में) (10)	(लाख में) (11)	(लाख में) (12)
	उत्तरी क्षेत्र–2												
1	समान क्षेत्रीय												
2	विद्युत प्रणालिया												
3	पी एस–1												
4	पी एस–2												
5	पी एस–3												
6	पी एस–4												
7	पी एस–5												
8	पी एस–6												
9	पी एस–7												
10	पी एस–8												
11	पी एस–9												
12	उप–जोड़ विद्युत प्रणालिया												
13	नेगम –आवटित												
14	जोड़ – क्षेत्रीय												

फार्म 104 : **क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों का वित्तीय ब्यौरा – विद्युत प्रणालियों की बन्दी – पूर्वी क्षेत्र**

वित्तीय वर्ष :

पारेषण युटिलिटी का नाम :

निदेश:– नीचे दिया जाने वाला विवरण लेखा परीक्षित लाभ हानि और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए फार्म 101–ए तथा 102–ए और प्रत्येक विद्युत प्रणाली के लिए फार्म 20, 20ए, 21 एवं 21ए के संबंधित कालमों के संदर्भ में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत लाईन 1 से 14 के सामने दिये गए आंकड़ों के अनुसार होना चाहिए ।

सं.	विद्युत प्रणाली का नाम	लाभ–हानि लेखा संक्षिप्त ब्यौरा							तुलन पत्र संक्षिप्त ब्यौरा				
		पारेषण प्रभार	विद्युत की बिक्री, शुल्क तथा अन्य आय	कर्मचारियों, पारेषण, प्रशासन संबंधी व्यय, घटा: सी.डब्ल्यू.आई.पी. को अंतरित	मूल्यहास	ब्याज तथा करो से पहले लाभ	ब्याज तथा वितीय प्रभार घटा: सी. डब्ल्यू. आई.पी. को अंतरित	कर के लिए प्रावधान	शेयरधारियों की निधियां (इक्विटी)	ऋण निधियां	निवल ब्लाक	वर्तमान परिसम्पतियां ऋण तथा अग्रिम	वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान
		(लाख में) (1)	(लाख में) (2)	(लाख में) (3)	(लाख में) (4)	(लाख में) (5)	(लाख में) (6)	(लाख में) (7)	(लाख में) (8)	(लाख में) (9)	(लाख में) (10)	(लाख में) (11)	(लाख में) (12)
	पूर्वी क्षेत्र												
1	समान क्षेत्रीय												
2	विद्युत प्रणालियां												
3	पी एस–1												
4	पी एस–2												
5	पी एस–3												
6	पी एस–4												
7	पी एस–5												
8	पी एस–6												
9	पी एस–7												
10	पी एस–8												
11	पी एस–9												
12	उप–जोड़ विद्युत प्रणालियां												
13	नैगम –आवंटित												
14	जोड़ –क्षेत्रीय												

फार्म 104 : क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों का वित्तीय ब्यौरा – विद्युत प्रणालियों की बन्दी – पश्चिमी क्षेत्र

वित्तीय वर्ष :

पारेषण युटिलिटी का नाम :

निर्देश:— नीचे दिया जाने वाला विवरण लेखा परीक्षित लाभ हानि और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए फार्म 101–ए तथा 102–ए और प्रत्येक विद्युत प्रणाली के लिए फार्म 20, 20ए, 21 एवं 21ए के संबंधित कालमों के संदर्भ में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत लाईन 1 से 14 के सामने दिये गए आंकडों के अनुसार होना चाहिए ।

		लाभ–हानि लेखा संक्षिप्त ब्यौरा							तुलन पत्र संक्षिप्त ब्यौरा				
सं.	विद्युत प्रणाली का नाम	पारेषण प्रभार	[illegible] की बिक्री, [illegible] तथा अन्य आय	कर्मचारियों, पारेषण, प्रशासन संबंधी व्यय, घटा: सी.डब्ल्यू.आई पी. को अंतरित	मूल्यहास	ब्याज तथा करों से पहले लाभ	ब्याज तथा वित्तीय प्रभार घटा: सी. डब्ल्यू. आई.पी. को अंतरित	कर के लिए प्रावधान	शेयरधारियों की निधियां (इक्विटी)	ऋण निधियां	निवल ब्लाक	वर्तमान परिसम्पत्तियां ऋण तथा अग्रिम	वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान
		(लाख में) (1)	(लाख में) (2)	(लाख में) (3)	(लाख में) (4)	(लाख में) (5)	(लाख में) (6)	(लाख में) (7)	(लाख में) (8)	(लाख में) (9)	(लाख में) (10)	(लाख में) (11)	(लाख में) (12)
	पश्चिमी क्षेत्र												
1	समान क्षेत्रीय												
2	विद्युत प्रणालियां												
3	पी एस–1												
4	पी एस–2												
5	पी एस–3												
6	पी एस–4												
7	पी एस–5												
8	पी एस–6												
9	पी एस–7												
10	पी एस–8												
11	पी एस–9												
12	उप–जोड़ विद्युत प्रणालियां												
13	नैगम – आवंटित												
14	जोड़ – क्षेत्रीय												

फार्म 104 : क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों का वित्तीय ब्यौरा – विद्युत प्रणालियों की बन्दी – दक्षिणी क्षेत्र

वित्तीय वर्ष :

पारेषण युटिलिटी का नाम :

निर्देश:– नीचे दिया जाने वाला विवरण लेखा परीक्षित लाभ हानि और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए फार्म 101–ए तथा 102–ए और प्रत्येक विद्युत प्रणाली के लिए फार्म 20, 20ए, 21 एवं 21ए के संबंधित कालमों के संदर्भ में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत लाईन 1 से 14 के सामने दिये गए आंकडों के अनुसार होना चाहिए ।

		लाभ–हानि लेखा संक्षिप्त ब्यौरा							तुलन पत्र संक्षिप्त ब्यौरा				
सं.	विद्युत प्रणाली का नाम	पारेषण प्रभार	विद्युत की बिक्री, शुल्क तथा अन्य आय	कर्मचारियों, पारेषण, प्रशासन संबंधी व्यय, घटा: सी.डब्ल्यू.आई.पी. को अंतरित	मूल्यह्रास	ब्याज तथा करों से पहले लाभ	ब्याज तथा वित्तीय प्रभार घटा: सी. डब्ल्यू. आई.पी. को अंतरित	कर के लिए प्रावधान	शेयरधारियों की निधियां (इक्विटी)	ऋण निधियां	निवल ब्लाक	वर्तमान परिसम्पतियां ऋण तथा अग्रिम	वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान
		(लाख में) (1)	(लाख में) (2)	(लाख में) (3)	(लाख में) (4)	(लाख में) (5)	(लाख में) (6)	(लाख में) (7)	(लाख में) (8)	(लाख में) (9)	(लाख में) (10)	(लाख में) (11)	(लाख में) (12)
	दक्षिणी क्षेत्र												
1	समान क्षेत्रीय												
2	विद्युत प्रणालियां												
3	पी एस–1												
4	पी एस–2												
5	पी एस–3												
6	पी एस–4												
7	पी एस–5												
8	पी एस–6												
9	पी एस–7												
10	पी एस–8												
11	पी एस–9												
12	उप–जोड़ विद्युत प्रणालियां												
13	नैगम–आवंटित												
14	जोड़–क्षेत्रीय												

ग विद्युत प्रणालियों का वित्तीय ब्यौरा – विद्युत प्रणालियों की बन्दी – उत्तरी पूर्वी क्षेत्र

पारेषण युटिलिटी का नाम :

ा वाला विवरण लेखा परीक्षित लाभ हानि और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए फार्म 101–ए तथा 102–ए और प्रत्येक विद्युत प्रणाली के लिए फार्म 20, 20ए, 21 एवं 21ए के संबंधित कालमों के संदर्भ में विभिन्न शीर्षों के त लाईन 1 से 14 के सामने दिये गए आंकड़ों के अनुसार होना चाहिए ।

		लाभ–हानि लेखा संक्षिप्त ब्यौरा							तुलन पत्र संक्षिप्त ब्यौरा				
सं	विद्युत प्रणाली का नाम	पारेषण प्रभार	विद्युत की बिक्री, शुल्क तथा अन्य आय	कर्मचारियों, पारेषण, प्रशासन सबंधी व्यय, घटा. सी.डब्ल्यू.आई पी. को अतरित	मूल्यहास	ब्याज तथा करो से पहले लाभ	ब्याज तथा वितीय प्रभार घटा. सी. डब्ल्यू. आई पी. को अतरित	कर के लिए प्रावधान	शेयरधारियों की निधिया (इक्विटी)	ऋण निधिया	निवल ब्लाक	वर्तमान परिसम्पतिया ऋण तथा अग्रिम	वर्तमान देयताए तथा प्रावधान
		(लाख मे) (1)	(लाख मे) (2)	(लाख मे) (3)	(लाख मे) (4)	(लाख मे) (5)	(लाख मे) (6)	(लाख मे) (7)	(लाख मे) (8)	(लाख मे) (9)	(लाख मे) (10)	(लाख मे) (11)	(लाख मे) (12)
	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र												
1	समान क्षेत्रीय												
2	विद्युत प्रणालियां												
3	पी एस–1												
4	पी एस–2												
5	पी एस–3												
6	पी एस–4												
7	पी एस–5												
8	पी एस–6												
9	पी एस–7												
10	पी एस 8												
11	पी एस 9												
12	उप जोड़ विद्युत प्रणालिया												
13	नैगम आवंटित												
14	जोड़ –क्षेत्रीय												

फार्म 105: सामान्य और नैगम लागत आबंटन विधि का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष

पारेषण युटिलिटी का नाम:

निदेश तुलन-पत्रों अथवा लाभ-हानि लेखों में दर्शायी गई नैगम तथा सामान्य खर्च/आय मदों और परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के आबंटन हेतु उपयोग की गई सूचना एवं तरीकों को नीचे दिए प्रारूप में प्रस्तुत किया जाए । प्रारूप के अन्त में टिप्पणी भी देखें ।

आबंटन तरीकों तथा पहलुओं का विवरण

क्र० सं० (1)	आबंटन हेतु मद (2)	अनुसूची / फार्म सन्दर्भ (3)	आबंटन का आधार *(4)	यूनिट (5)	आबंटन पहलू (कालम-4 में वर्णित आबंटन आधार पर आधारित गणना के अनुसार) जिनका विभिन्न प्रचालनशील प्रणालियों तथा निर्माण स्कीमों के लिए उपयोग किया गया । (6)						
					*प्रचालनशील प्रणालियां/क्षेत्र 6(क)				निर्माण स्कीमें 6(ख)		
					प्रणाली	प्रणाली	प्रणाली	प्रणाली	स्कीमें	स्कीमें	स्कीमें
1	वेतन एवं मजदूरी		कर्मचारियों की संख्या		1234	234	678	789	23	78	90
2	नीचे दिए अनुसार निर्माण एवं प्रचालन परियोजनाओं के सामान्य खर्च		पूंजीगत लागत तथा बिक्री का अनुपात	बिक्री तथा पूंजीगत लागत का मूल्य (रूपयों में)	2345678	5678907	345678	12345678	890789	90897	90876
	(क) मरम्मत तथा अनुरक्षण (ख) वेतन और मजदूरी (ग) किराया (घ) ...										

टिप्पणी ऊपर कालमों में दिए आकड़े, सूचना देने संबंधी अपेक्षाओं को समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर दर्शाए गए है । इनके स्थान पर वास्तविक आकड़े दें ।

फार्म 10छ विभिन्न स्तरों पर लेखा–परीक्षित तुलन–पत्रों एवं लाभ–हानि लेखों के संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली सहायक अनुसूचियों की सूची ।

वित्त वर्ष

पारेषण युटिलिटी का नाम

निर्देश: कालम– 2 में सन्दर्भित अनुसूचियों की नामावली निदर्शी प्रकार की है, न कि सम्पूर्ण । कालम–2 में उल्लिखित अनुसूचियों में निहित सामान्य मदों का ब्यौरा देने के लिए वास्तविक नामावली उपयोग की जाए । कालम–(2) में शामिल न की गई विशिष्ट कम्पनियों सबंधी अनुसूचियां अथवा जो अन्यत्र अपेक्षित न हो, उन अनुसूचियों को शामिल किया जा सकता है और उपयुक्त स्तर पर उनका ब्यौरा दें ।

क्र० सं० (1)	निम्नलिखित सबंधित पी एण्ड एल लेखे एवं तुलन–पत्र सबंधी अनुसूचियां (2)	नैगम स्तर (3)	क्षेत्रीय स्तर (4)	विद्युत प्रणाली (5)	अभ्युक्ति (6)
1	पूंजी	•	•		उप लेखों द्वारा पूर्ण अलग –अलग ब्यौरा दें ।
2	प्रारक्षित पूंजी तथा अधिशेष	•	•	•	– वही –
3	अन्त यूनिट लेखा	•	•	•	इन लेखों के माध्यम से सम्पन्न कारोबारी कार्यकलापों का वित्तीय लेखावार संक्षिप्त ब्यौरा दें ।
4	अन्त यूनिट नकद जमा लेखा	•	•	•	–वही–
5	खरीद पहलू	•	•	•	यदि अन्यत्र न दिया गया हो तो एक विस्तृत टिप्पणी दें ।
6	अचल परिसम्पतियां (समेकित)	•	•	•	अधिसूचित मूल्यहास दरों के अनुसार ग्रुपिंग्स सहित उपलेखों द्वारा पूर्ण अलग अलग ब्यौरा दें ।
7	अचल परिसम्पतियां – पारेषण लाईनें	•	•	•	–वही–
8	अचल परिसम्पतियां – उपकेन्द्र	•	•	•	–वही–
9	अचल परिसम्पतियां– अनुसंधान और विकास	•	•	•	–वही–
10	अचल परिसम्पतियां - कार्यालय परिसर	•	•	•	–वही–
11	अचल परिसम्पतियां– टाउनशिप परिसम्पतियां	•	•	•	–वही–
12	अचल परिसम्पतियां–– सरकार के स्वामित्व वाली परिसम्पतियां	•	•	•	–वही–
13	चल रहे पूंजीगत कार्य – पारेषण लाईनें ।	•	•	•	उप लेखों द्वारा पूर्ण अलग–अलग ब्यौरा दें
14	चल रहे पूंजीगत कार्य – उपकेन्द्र	•	•	•	–वही–
15	सी डब्ल्यू आई पी. – अनुसंधान और विकास	•	•	•	–वही–
16	चल रहे पूंजीगत कार्य – कार्यालय परिसर	•	•	•	–वही–
17	चल रहे पूंजीगत कार्य – टाउनशिप परिसम्पतियां	•	•	•	–वही–
18	सी डब्ल्यू आई पी. – निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय	•	•	•	–वही–
19	निर्माण सम्बन्धी भण्डार सामग्री तथा अग्रिम	•	•	•	प्रमुख मदों का अलग अलग ब्यौरा दें ।
20	निवेश	•	•	•	क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों को निवेश सबंधी आवंटन सहित लाभ या हानि का ब्यौरा दें ।
21	वर्तमान परिसम्पतियां, ऋण तथा अग्रिम	•	•	•	प्रमुख मदों का अलग अलग ब्यौरा दें
22	वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	•	•	•	प्रमुख मदों का अलग अलग ब्यौरा दें
23	विविध व्यय (बटटे खाते डाले गए या समायोजित)	•	•	•	–वही–
24	आकस्मिक देयताएं	•	•	•	कम्पनी की ओर विवादित राशि या दावों के सबंध में सदर्भो या साक्ष्यों का विवरण दें ।
25	अन्य आय	•	•	•	प्रमुख मदों का अलग अलग ब्यौरा दें
26	उत्पादन, प्रशासन सबंधी तथा अन्य व्यय	•	•	•	उप लेखों द्वारा पूर्ण अलग–अलग ब्यौरा दें
27	प्रावधान	•	•	•	प्रमुख मदों का अलग अलग ब्यौरा दें
28	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	•	•	•	उप लेखों द्वारा पूर्ण अलग–अलग ब्यौरा दें
29	निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय	•	•	•	–वही–
30	पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	•	•	•	प्रमुख मदों का अलग अलग ब्यौरा दें, समायोजन पिछले एक से अधिक वर्षों से सबंधित होने पर प्रमुख मदों के बारे में वर्षवार अलग अलग ब्यौरा दें ।
31	विदेशी मुद्रा सबंधी घट– बढ़	•	•	•	यदि अन्यत्र न दिया गया हो तो उपलेखों का पूर्ण अलग अलग ब्यौरा दें
32	लेखों पर टिप्पणियां				यदि अन्यत्र न दिया गया हो तो ब्यौरा दें ।
टिप्पणी	विभिन्न स्तरों के लिए कालम 2 में निर्दिष्ट अनुसूची के सबंध में विवरण की अपेक्षा कालम 3 से 5 'बिन्दुओं' से प्रदर्शित की गई है ।				

भाग 4 : क्षेत्रीय तथा विद्युत प्रणाली स्तर पर वित्तीय और प्रचालनात्मक विवरण :

पारेषण यूटिलिटी का नाम फाईल संदर्भ वित्तीय वर्ष

सी टी यू एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

विद्युत प्रणालियां		विद्युत प्रणाली के अन्तर्गत पारेषण लाईनें और सम्बद्ध उपकेन्द्र आदि
1	प्रणाली – क	
2	प्रणाली– ख	
3	प्रणाली– ग	
4	प्रणाली – घ	
5	प्रणाली– ङ	
6	प्रणाली – च	
7	प्रणाली – छ	
8	प्रणाली – ज	
9	प्रणाली – झ	
10		
11		
12		

वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत फार्म , अनुसूचियां, सहायक दस्तावेज और साक्ष्य

पारेषण यूटिलिटी का नाम

वित्तीय वर्ष केश नं.

फार्म सं. और शीर्षक :–		पृष्ठ
000	सहायक साक्ष्यों की सूची (पारेषण यूटिलिटी द्वारा सूचीबद्ध की जाए)	
क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली		
1:	क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली सामान्य सूचना	
2:	क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली तकनीकी विशेषताएं – विद्युत प्रणाली सांख्यिकी	
3ए:	क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली तकनीकी विशेषताएं – लाईन आंकडे	
3बी:	क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली तकनीकी विशेषताएं – ट्रांसफार्मर आंकडे	
4:	क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली तकनीकी विशेषताएं – अन्य	
5:	क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली आधारभूत आंकड़े और तकनीकी विशेषताएं – प्रमुख प्रचालन तथा अनुरक्षण उपस्करों की सूची	
6:	क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली – परियोजना का ब्यौरा और लागतें ।	
7ए:	क्षेत्रीय ग्रिड में वार्षिक एवं मासिक आधार पर सप्लाई की गई क्रियाशील ऊर्जा का संक्षिप्त विवरण	
7 बी:	क्षेत्रीय ग्रिड में वार्षिक एवं मासिक आधार पर सप्लाई की गई प्रतिक्रियाशील ऊर्जा का संक्षिप्त विवरण	
8ए	क्षेत्रीय ग्रिड से वार्षिक एवं मासिक आधार पर ली गई क्रियाशील ऊर्जा का संक्षिप्त विवरण	
8 बी:	क्षेत्रीय ग्रिड से वार्षिक एवं मासिक आधार पर ली गई प्रतिक्रियाशील ऊर्जा का संक्षिप्त विवरण	
9ए :	क्षेत्रीय ग्रिड पर विद्युत प्रणाली संबंधी अनुमानित आकस्मिक व्यस्ततमकालीन मांग	
9 बी:	क्षेत्रीय ग्रिड पर विद्युत प्रणाली संबंधी मासिक अनुमानित आकस्मिक व्यस्ततमकालीन मांग के अनुसार ली गई ऊर्जा	
10ए:	मासिक सर्किट बन्दी विवरण – पारेषण यूटिलिटी के कारण बन्दी	
10बी :	मासिक सर्किट बन्दी विवरण – विद्युत उत्पादन केन्द्रों या लाभभोगियों के कारण बन्दी ।	
10सी :	मासिक सर्किट बन्दी विवरण – ग्रिड के कारण बन्दी	
11 :	विद्युत प्रणाली प्रचालन आंकड़े और विवरण	
12:	विद्युत उत्पादन केन्द्र (वैकल्पिक) के संबंध में अनुमोदित विद्युत उत्पादन प्रमाणपत्रों का संक्षिप्त विवरण	
13:	विद्युत प्रणाली के कार्यकलापों का विवरण	
14:	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति में परिवर्तन : क्षेत्रीय संक्षिप्त ब्यौरा	
15:	क्षेत्रीय व्यय आंबटन	
16:	मासिक राजस्व ब्यौरा, कार्यशील पूंजी	
विशिष्ट विद्युत प्रणाली		
20:	क्षेत्रीय तुलन पत्र – 31 मार्च की स्थिति के अनुसार सभी विद्युत प्रणालियां	
20ए:	31 मार्च की स्थिति के अनुसार विद्युत प्रणाली तुलन पत्र	
21:	क्षेत्रीय लाभ हानि लेखा – सभी विद्युत प्रणालियां 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	
21ए:	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए विद्युत प्रणाली संबंधी लाभ हानि लेखा	

सहायक साक्ष्यों की सूची

पारेषण युटिलिटी का नाम :

वित्तीय वर्ष :

सं.	संदर्भ अथवा प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	साक्ष्य सं.

प्रस्तुत प्रत्येक साक्ष्य, संबंधित फार्म के अनुसार होगा और उसे तीन अंकों की संख्या दी जाएगी जो साक्ष्य संख्या कहलाएगी ।

साक्ष्य सं.: X-X.x –009 – फार्म X उप–खण्ड X.x साक्ष्य संख्या 009

	साक्ष्य का शीर्षक या संदर्भ	साक्ष्य संख्या
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

फार्म 1 : क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली – सामान्य सूचना

वित्तीय वर्ष

सी टी यू एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली		
नीचे दिए गए मुददों के बारे में ब्यौरा दें जो कि स्पष्ट एवं तथ्यपूर्ण हो तथा उन्हें अपेक्षानुसार नम्बर दें । प्रत्येक प्रशन का उतर दिया जाना चाहिए । जिन मामलों में सूचना शून्य या प्रासंगिक न हो तो वहा शून्य या 'लागू नहीं' निर्दिष्ट करें ।		
		साक्ष्य संख्या
1	वित्तीय वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणियां या परिवर्तन	
1.1	विद्युत प्रणालियों के संबंध में आवेदक के विरूद्ध विचाराधीन कानूनी मामले या कार्यवाही : उन महत्वपूर्ण कानूनी मुददों, दायित्वों या अधिकारों का विवरण दें जो टैरिफ को प्रभावित करते हो ।	
1.2	विचाराधीन विद्युत प्रणाली सुविधाओं से सम्बद्ध खरीद या बिक्री : सम्पति का संक्षिप्त ब्यौरा दें और उससे सम्बद्ध कारोबारी कार्यकलापों, उन्हें प्राधिकृत करने वाले निकाय तथा उक्त प्राधिकार के संदर्भ संबंधी विवरण दें ।	
1.3	संयंत्र अथवा उससे सम्बद्ध सुविधाओं का विस्तार (नवीकरण एवं आधुनिकीकरण सहित) या उनमें कमी : जोडी या समाप्त की गई मात्रा अथवा विकास कार्यो , कार्यकलापों को शुरू या समाप्त करने की तारीख दें तथा उपरोक्त कार्यों को करने सम्बंधी अधिसूचना आदि का संदर्भ दें ।	
1.4	निर्माणाधीन नई सुविधाएं : चल रही परियोजना की स्थिति, उनके निर्धारित कार्यक्रम एवं प्रगति , परियोजना के विभिन्न चरणों के वाणिज्यिक प्रचालन की प्रत्याशित तारीख तथा अन्य प्रासंगिक सूचना दें ।	
1.5	पर्यावरण संबंधी मामले : आवेदक के विरूद्ध महत्वपूर्ण मामलों का संक्षिप्त एवं यथार्थपूर्ण ब्यौरा दें ।	
1.6	अन्य सामान्य सूचना जिसकी केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को जानकारी होनी चाहिए ।	
2	लेखा नीतियां तथा लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र (फार्म 100 में उल्लेखानुसार)	

फार्म 2 : क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली तकनीकी विशिष्टियां – विद्युत प्रणाली संबंधी आंकड़े

वित्तीय वर्ष

सी टी यू एक्स वाई जैड – क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

विवरण	उत्तरी क्षेत्र –1	उत्तरी क्षेत्र–2	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र
के वी 1/के वी–2 पर उपकेन्द्रों की कुल संख्या						
के वी 1 / के वी–2 पर कुल एम वी ए उपकेन्द्र						
कुल एम वी ए, एच वी डी सी उपकेन्द्र						
कुल एच वी डी सी उपकेन्द्र						

फार्म 3 ए : क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली की तकनीकी विशेषताएं – लाईन संबंधी आंकड़ें ।

वित्तीय वर्ष :–

सी टी यू एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

सर्किट संबंधी आंकड़े ।

निदेश विद्युत प्रणाली द्वारा लाईन संबंधी आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाएगा । प्रत्येक सिंगल सर्किट लाईन के संबंध में सर्किट के प्रकार सहित आंकड़े दिए जाने चाहिए अर्थात ओवर हैड सर्किट (ओ एच) केबल या भूमिगत सर्किट (यू जी) सप्लाई प्वाईटों के प्रकारों की परिभाषाए , वार्षिक प्रस्तुतिकरण अपेक्षाओ संबंधी सामान्य निर्देशों में दी गई है ।

क्र सं	विद्युत प्रणाली / लाईन	से		तक		वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	प्रकार (ओ एच ;यू जी)	के वी	लम्बाई (कि.मी.)	निर्धारित क्षमता एम वी ए
		नाम या संख्या	सप्लाई प्वाईट का प्रकार	नाम या संख्या	सप्लाई प्वाईट का प्रकार					

फार्म 3 बी : क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली की तकनीकी विशेषताएं – ट्रांसफार्मर संबंधी आंकड़े

वित्तीय वर्ष :

सी टी यू एक्स वाई जैड – क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली ।

सर्किट संबंधी आंकड़े :

निर्देश : विद्युत प्रणाली द्वारा ट्रांसफार्मर संबंधी आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाएगा । प्रत्येक ट्रांसफार्मर के संबंध में ट्रांसफार्मर के प्रकार अर्थात दो वाईडिंग ट्रांसफार्मर सर्किट (टी आर एफ–2) तीन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर सर्किट (टी आर एफ–3) सहित सूचना दी जानी चाहिए – दो लाईनों की प्रयोग करें ।

क्र0 सं0	विद्युत प्रणाली	स्थल	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	प्रकार (टी आर एफ–2)(टी आर एफ–3)	के0वी0 (प्राथमिक)	के0वी0 (द्वितीयक)	निर्धारित क्षमता एम0वी0ए0
		नाम या संख्या					

फार्म –4: क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली की तकनीकी विशेषताएं – अन्य

वित्तीय वर्ष:

सी टी यू एक्स वाई जैड – क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

सं.	विद्युत प्रणाली का नाम	क्षतिपूर्ति उपस्कर के साथ जुड़े उपकेन्द्रों की संख्या	स्थिर वी ए आर प्रतिपूरक		शंट रिएक्टर			श्रेणी रिएक्टर			शंट कैपेसिटर		
1	प्रतिक्रियाशील प्रतिपूर्ति उपस्कर												
			संख्या	एम वी ए आर	संख्या	एम वी ए आर	प्रकार (स्थिर/ परिवर्तनीय)	संख्या	एम वी ए आर	प्रकार (स्थिर/ परिवर्तनशील)	संख्या	एम वी ए आर	प्रकार (स्थिर/ परिवर्तनशील)
1	प्रणाली–क												
2	प्रणाली–ख												
3	प्रणाली–ग												
4	प्रणाली–घ												
5	प्रणाली–ङ												
6	प्रणाली–च												
7	प्रणाली–छ												
8	प्रणाली–ज												
9	प्रणाली–झ												
2	अन्तःसम्बद्ध उपस्कर (इन्टरकनेक्टर) संबंधी आंकड़े												
	नाम:												
	स्थल :												
	विद्युत प्रणाली अन्तःसम्बद्ध (1) / कनैक्शन प्वाइंट												
	विद्युत प्रणाली अन्तःसम्बद्ध (2) / कनैक्शन प्वाइंट												
	निर्धारित और आपातकालीन अन्तरण क्षमता												
	एच.वी.डी.सी. /एच.वी.ए.सी. वोल्टेज												
	एच.वी.डी.सी. – प्रकार के संरूपण के लिए												
	सर्किटों की संख्या												
	ट्रांसफार्मरों की संख्या												
	ट्रांसफार्मर की निर्धारित क्षमता (एम वी ए)												
	प्राथमिक ट्रांसफार्मर वोल्टेज (केवी)												
	द्वितीय क (सैकेण्डरी) ट्रांसफार्मर वोल्टेज (के वी)												
	चालू करने का वर्ष												
3	ग्रिड तथा विद्युत प्रणालियों का क्षेत्रीय मानचित्र दें												
4	क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियो मे शामिल प्रत्येक उपकेन्द्र का ए–4 प्रारूप मे सिंगल लाईन रेखाचित्र दें ।												

फार्म 5 : क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली संबंधी आधारभूत आंकड़े और तकनीकी विशेषताएं – प्रमुख प्रचालन एवं अनुरक्षण उपस्कर

वित्तीय वर्ष :

सी.टी.यू. एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

सं.	प्रमुख प्रचालन एवं अनुसरण उपस्करों की सूची	क्षेत्रों में उपस्करों आदि की संख्या					
		उत्तरी–1	उत्तरी–2	पश्चिमी	दक्षिणी	पूर्वी	उत्तर–पूर्वी
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

फार्म 6 : क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली – परियोजना का ब्यौरा एवं लागतें

वित्तीय वर्ष :

सी टी यू एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

परियोजना का नाम तथा विवरण

निर्देश :— प्रत्येक पूर्ण हुई और वाणिज्यिक प्रचालन में आने वाली परियोजना के लिए अलग पृष्ठ प्रयोग करें ।

क – चालू हुई परियोजना का तकनीकी ब्यौरा												
क्र. सं.	प्रणाली का नाम तथा उसके संघटक – (लाइन / उपकेन्द्र / एच वी डी सी आदि)			नई / विस्तार / नवीकृत	से	तक या पर	चालू करने की तारीख	निम्नलिखित के संबंध में क्षमता में बढ़ोतरी				अभ्युक्ति
								दूरी (कि.मी. में)	वोल्टेज (के वी–1 / के वी–2)	एम वी ए	ट्रांसफार्मरों की संख्या	
	प्रणाली का नाम	लाइनें	1..................									
			2..................									
			3..................									
		उपकेन्द्र	1..................									
			2..................									
			3..................									
		ट्रांसफार्मर	1..................									
			2..................									
			3..................									
		एच वी डी सी	1..................									
			2..................									
			3..................									

ख (1) चालू की गई परियोजनाओं का वित्तीय विवरण : परियोजना लागत संबंधी ब्यौरा							वित्त का स्रोत कुल पूंजीगत व्यय का ब्यौरा					अभ्युक्ति
क.स.	प्रणाली का नाम तथा उसके संघटक – (लाइन / उपकेन्द्र / एच वी डी सी आदि)			कुल अनुमानित लागत (लाख रु में)	कुल अनुमोदित परियोजना लागत (लाख रु में)	कुल पूंजीगत व्यय (लाख रु में)						
	प्रणाली का नाम	लाइनें	1..................									
			2..................									
			3..................									
		उपकेन्द्र	1..................									
			2..................									
			3..................									
		ट्रांसफार्मर	1..................									
			2..................									
			3..................									
		एच वी डी सी	1..................									
			2..................									
			3..................									

फार्म 7–ए: केन्द्रीय ग्रिड में वार्षिक तथा मासिक आधार पर क्रियाशील ऊर्जा की सप्लाई का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष:

सी टी यू एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

सप्लाई की गई कुल क्रियाशील ऊर्जा (मि.यू.)		कुल	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
सप्लाई प्वाइट	स्त्रोत का नाम (के० ग्रिड केन्द्र; रा० वि० बोर्ड; अन्य)													
अन्तःसम्बद्ध उपस्कर –1 (निवल अन्तः अंतरण ———— से ——— तक)														
अन्तःसम्बद्ध उपस्कर –2 (निवल अन्तः अंतरण ———— से ——— तक)														

क्षेत्रीय क्रियाशील ऊर्जा सप्लाई

फार्म 7बी: केन्द्रीय ग्रिड में वार्षिक तथा मासिक आधार पर प्रतिक्रियाशील ऊर्जा की सप्लाई का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष:

सी टी यू एक्स वाई जेड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

सप्लाई की गई कुल प्रतिक्रियाशील ऊर्जा(एम वी ए आर एच में)		कुल	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
सप्लाई प्वाइंट	स्रोत का नाम (के0 ग्रिड केन्द्र, रा0 वि0 बोर्ड, अन्य)													
अन्त सम्बद्ध उपस्कर –1 (निवल अन्त अंतरण .... से .... तक)														
अन्त सम्बद्ध उपस्कर – 2 (निवल अन्त अंतरण .... से .... तक)														

क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील ऊर्जा सप्लाई

फार्म 8ए: केन्द्रीय ग्रिड से वार्षिक तथा मासिक आधार पर कियाशील ऊर्जा की प्राप्ति का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष.

सी टी यू एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

कुल क्रियाशील ऊर्जा प्राप्ति (या लोड) (मि.यू. में)		कुल	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
सप्लाई प्वाइट (लाम भोगी)	स्त्रोत का नाम (के0 ग्रिड केन्द्र, रा0 वि0 बोर्ड, अन्य)													
अन्त सम्बद्ध उपरकर -1 (निवल अन्त अतरण ---------- से --- तक)														
अन्त सम्बद्ध उपरकर -1 (निवल अन्त अतरण ---------- से ------ तक)														

क्षेत्रीय क्रियाशील माग

फार्म 4बी: केन्द्रीय ग्रिड में वार्षिक तथा मासिक आधार पर प्रतिक्रियाशील ऊर्जा की सप्लाई का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष:

सी टी यू एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

सप्लाई की गई कुल प्रतिक्रियाशील ऊर्जा (एम वी ए आर एच में)		कुल	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
सप्लाई प्वाइंट (लाभ भोगी)	स्त्रोत का नाम (के0 ग्रिड केन्द्र, रा0 वि0 बोर्ड, अन्य)													
अन्त:सम्बद्ध उपस्कर –1 (निवल अन्त: अंतरण ———— से ——— तक)														
अन्त:सम्बद्ध उपस्कर –2 (निवल अन्त: अंतरण ———— से ——— तक)														
क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील ऊर्जा सप्लाई														

फार्म – 9 ए : विद्युत प्रणाली – क्षेत्रीय ग्रिड में अनुमानित आकस्मिक व्यस्ततमकालीन मांग

वित्तीय वर्ष :

सी टी यू एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

मास :

दिन	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
सप्लाई प्वाइंट																															
अन्तः सम्बद्ध उपस्कर – 1 (निवल अन्तः अंतरण : ______ से ______ तक)																															
अन्तः सम्बद्ध उपस्कर – 2 (निवल अन्तः अंतरण : ______ से ______ तक)																															
क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली – अनुमानित आकस्मिक व्यस्ततमकालीन मांग।																															
अनुमानों के आधार का विस्तृत विवरण, इस फार्म के अलग अनुबंध के रूप में संलग्न करें।																															

फार्म – 9 बी : विद्युत प्रणाली – क्षेत्रीय ग्रिड में अनुमानित आकस्मिक व्यस्ततमकालीन प्राप्ति

वित्तीय वर्ष :

सी टी यू एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

मास :

दिन	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
सप्लाई प्वाइंट																															
अन्तः सम्बद्ध उपस्कर – 1 (निवल अन्तः अंतरण : ________ से ______ तक)																															
अन्तः सम्बद्ध उपस्कर – 2 (निवल अन्तः अंतरण : ________ से ______ तक)																															
क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली – अनुमानित आकस्मिक व्यस्ततमकालीन मांग।																															
अनुमानों के आधार का विस्तृत विवरण, इस फार्म के अलग अनुबंध के रूप में संलग्न करें।																															

फार्म—10 ए: मासिक सर्किट बन्दी आंकड़े – पारेषण युटिलिटी (उदाहरण: पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0) के कारण क्षेत्रीय ग्रिड की बन्दी

वित्तीय वर्ष:

सी टी यू एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

क्र0 सं0	विद्युत प्रणाली (लाईनें)	सर्किट		प्रकार (ओ एच, यू जी,टी आर एफ–2, टीआर, एफ–3)	वार्षिक अवरोधों की संख्या	सप्लाई न की गई ऊर्जा (मे0 वा0 – मिनट)	वार्षिक औसत अवधि (मिनट)	सर्किट की औसत उपलब्धता (%में बताएं)												
		से	तक					वार्षिक	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च

फार्म–10 बी: मासिक सर्किट बन्दी आंकड़े – विद्युत उत्पादन केन्द्रों या लाभ भोगियों के अनुरोधानुसार बन्दी

वित्तीय वर्ष:

सी टी यू एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

क्र0 स0	विद्युत प्रणाली (लाईने)	सर्किट		प्रकार (ओ एच, यू जी,टी आर एफ–2, टीआर, एफ- 3)	वार्षिक अवरोधों की संख्या	सप्लाई न की गई ऊर्जा (मे0 वा0 – मिनट)	वार्षिक औसत अवधि (मिनट)	सर्किट की औसत उपलब्धता (% में बताएं)												
		से	तक					वार्षिक	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च

फार्म–10 सी: मासिक सर्किट बन्दी आंकड़े – ग्रिड की बन्दी

वित्तीय वर्ष:

सी टी यू एक्स वाई जेड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

क्र0 सं0	विद्युत प्रणाली (लाईनें)	सर्किट		प्रकार (ओ एच, यू जी, टी आर एफ–2, टीआर, एफ–3)	वार्षिक अवरोधों की संख्या	सप्लाई न की गई ऊर्जा (मि0 वा0 – मिनट)	वार्षिक औसत अवधि (मिनट)	सर्किट की औसत उपलब्धता (% में बताएं)												
		से	तक					वार्षिक	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च

फार्म 10–ए तथा 10 बी में शामिल न की गई बंदियों को इस फार्म में शामिल किया जाएगा ।

फार्म–11: विद्युत प्रणाली के प्रचालन संबधी आंकड़े

वित्तीय वर्ष:

निदेश: विभिन्न इंडिसिस की गणना के लिए परिभाषाओं को देखे ।

विद्युत प्रणाली का नाम	नियोजित बन्दी (या अनुपलब्धता)			जबरन बन्दी (या अनुपलब्धता) घन्टे	विद्युत प्रणाली की उपलब्धता घन्टे	सप्लाई न की गई ऊर्जा (मे.वा. मिन्ट)	औसत अवधि बन्दी (मिन्ट)	निम्नलिखित आवर्तिताओं के दौरान प्रतिशत समय				
	सी टी यू द्वारा अनुरक्षण हेतु नियोजित बन्दी (घन्टे)	सी टी यू द्वारा निर्माण कार्यो के लिए नियोजित बन्दी (घन्टे)	उपभोक्ता कनैक्शन बन्दी (घन्टे)					48.5 हटर्ज से कम (प्रतिशत)	48.5 हटर्ज तथा 49.5 हटर्ज के बीच (प्रतिशत)	49.5 हटर्ज तथा 50.5 हटर्ज के बीच (प्रतिशत)	50.5 हटर्ज तथा 51.5 हटर्ज के बीच (प्रतिशत)	51.5 हटर्ज से अधिक (प्रतिशत)
विद्युत प्रणाली द्वारा वार्षिक भारित औसत आंकड़े												
प्रणाली – क												
प्रणाली – ख												
प्रणाली – ग												
प्रणाली – घ												
प्रणाली – ङ												
प्रणाली – च												
प्रणाली – छ												
प्रणाली – ज												
प्रणाली – झ												
जोड़ विद्युत प्रणाली												
क्षेत्रीय स्तर पर मासिक भारित औसत आंकड़े												
अप्रैल												
मई												
जून												
जुलाई												
अगस्त												
सितम्बर												
अक्तूबर												
नवम्बर												
दिसम्बर												
जनवरी												
फरवरी												
मार्च												
जोड़												

मासिक आंकड़े फ्रीक्वीयंसी आधार पर प्रस्तुत किए जाएं ।

फार्म–12: विद्युत उत्पादन केन्द्रों के लिए अनुमोदित सम उत्पादन प्रमाण पत्रों का संक्षिप्त विवरण ।

वित्तीय वर्ष:

सी टी यू एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली ।

जारी कुल सम उत्पादन प्रमाणपत्र (मि.यू. मे.)		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
विद्युत उत्पादन केन्द्र का नाम	सप्लाई प्वाइन्ट												
जोड़													

टिप्पणी :– यह फार्म वैकल्पिक है और आंकड़े क्षेत्रीय बिजली बोर्डों से एकत्र किये जाने अपेक्षित हैं ।

फार्म 13: विद्युत प्रणाली के कार्यकलापों का विवरण ।

वित्तीय वर्ष:

सी टी यू एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली ।

सं.	कार्यकलाप की तारीख (कार्यकलाप का मास भी दें)	कार्यकलाप का समय	कार्यकलाप का विवरण और प्रभावित क्षेत्र	सप्लाई न की गई ऊर्जा			कार्यकलाप की श्रेणी				
				अवधि (मिन्ट)	कार्यकलाप के परिणामस्वरूप जारी प्रमाण पत्रों की संख्या	सप्लाई न की गई ऊर्जा (सम उत्पादन सहित)	आवर्तिता भिन्नता	पारेषण लाईनों की जबरन बन्दी	पारेषण उपकेन्द्र की जबरन बन्दी	पारेषण में रूकावट या ठप्प होना	अन्य

फार्म 14 : 31 मार्च को समाप्त वर्ष के संबंध में वित्तीय स्थिति में परिवर्तन – क्षेत्रीय संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष

सी टी यू एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

निर्देश :– तुलन पत्र के लेखों में पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों की तुलना में सापेक्ष परिवर्तन प्रतिशत में दें ।

सं.	विवरण	पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में सापेक्ष परिवर्तन (प्रतिशत)
1	स्त्रोत – कार्यकलापों से राशि की प्राप्ति	
2	लाभ	
3	मूल्यहास	
4	विविध देनदारों में कमी	
5	मालसूची में कमी	
6	अन्य चालू परिसम्पतियो मे कमी	
7	ऋणों तथा अग्रिमों में कमी	
8	चालू देयताओं में बढ़ोतरी	
9	प्रावधानों में वृद्धि	
10	बट्टे खाते डाले गए विविध व्यय में कमी	
11	प्राप्त अनुदान	
12	उप–जोड़	
13	**उपयोग – कार्यकलापों से राशि की प्राप्ति**	
14	हानि	
15	विविध देनदारों में वृद्धि (प्राप्य अनुदान, यदि कोई हो, सहित)	
16	मालसूची में वृद्धि	
17	अन्य चालू परिसम्पतियों में वृद्धि	
18	ऋणों तथा अग्रिमों में वृद्धि	
19	चालू देयताओं में कमी	
20	प्रावधानों में कमी	
21	बट्टे खाते डाले गए विविध व्यय में वृद्धि	
22	उप–जोड़	
23	**कार्यकलापों से निवल राशि प्राप्ति**	
24	**स्त्रोत–निवेश से राशि प्राप्ति**	
25	सकल ब्लाक (बिक्री) में कमी	
26	निवेश में कमी	
27	चल रहे पूंजीगत कार्यों मे कमी	
28	निर्माण संबंधी सामग्री एवं अग्रिमों में कमी	
29	उप–जोड़	
30	**उपयोग–निवेश से राशि प्राप्ति**	
31	सकल परिसम्पतियो में वृद्धि	
32	निवेश मे वृद्धि	
33	चल रहे पूंजीगत कार्यों में वृद्धि	
34	निर्माण संबंधी सामग्री एवं अग्रिमों मे वृद्धि	
35	उप–जोड़	
36	**निवेश से निवल राशि प्राप्ति**	
37	**स्त्रोत वित्तपोषण से राशि प्राप्ति**	
38	ऋण निधियों में वृद्धि	
39	नई ऋण निधियां	
40	देय परन्तु भुगतान न की गई ऋण निधि (बकाया)	
41	शेयरधारियों की निधियों में वृद्धि	
42	पूंजी	
43	प्रारक्षित पूंजी एवं अधिशेष (वित्तीय वर्ष लाभ यदि कोई हो, को छोड़कर)	
44	उप–जोड़	
45	उपयोग – वित्तपोषण से राशि प्राप्ति	
46	ऋण निधियों में कमी	
47	शेयरधारियों की निधियों मे कमी	
48	पूंजी	
49	प्रारक्षित पूंजी एवं अधिशेष (वित्तीय वर्ष हानि यदि कोई हो, को छोड़कर)	
50	उप–जोड़	
51	वित्तपोषण से निवल राशि प्राप्ति	
52	रोकड़ तथा बैंक में जमा राशि मे परिवर्तन	

फार्म 15: क्षेत्रीय व्यय आंवटन

वित्तीय वर्ष:

सी टी यू एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली ।

निदेश : नीचे दी गई सारणी मे इंगित किए अनुसार व्यय की मुख्य श्रेणियो के आवटन का ब्यौरा दें । समान नैगम एवं समान क्षेत्रीय व्यय फार्म 102–ए तथा 104 के अनुसार और विद्युत प्रणाली संबंधी सूचना फार्म 21 तथा 21–ए के अनुसार होने चाहिए ।

	विवरण	विद्युत प्रणाली–1	विद्युत प्रणाली–2	विद्युत प्रणाली–3	विद्युत प्रणाली–4	विद्युत प्रणाली–5	विद्युत प्रणाली–6	विद्युत प्रणाली–7	विद्युत प्रणाली–8	विद्युत प्रणाली–9	क्षेत्रीय मुख्यालय	सकल जोड़
1	**कर्मचारियों संबंधी लागत**											
2	पारेषण लाईने तथा उपकेन्द्र											
3	टाउनशिप											
4	अनुसंधान और विकास											
5	समान कार्यालय कम्पलैक्स तथा क्षेत्रीय व्यय											
6	नैगम कार्यालय काम्पलैक्स तथा नैगम व्यय											
7	**पारेषण व्यय**											
8	पारेषण लाईने तथा उपकेन्द्र											
9	टाउनशिप											
10	अनुसंधान और विकास											
11	समान कार्यालय कम्पलैक्स तथा क्षेत्रीय व्यय											
12	नैगम कार्यालय काम्पलैक्स तथा नैगम व्यय											
13	**प्रशासन व्यय**											
14	पारेषण लाईने तथा उपकेन्द्र											
15	टाउनशिप											
16	अनुसंधान और विकास											
17	समान कार्यालय कम्पलैक्स तथा क्षेत्रीय व्यय											
18	नैगम कार्यालय काम्पलैक्स तथा नैगम व्यय											
19												
20												
21	**कर्मचारियों की संख्या**											
22	कार्यपालक											
23	पर्यवेक्षक											
24	कार्मिक											
25												

फार्म 16: मासिक राजस्व विवरण, कार्यशील पूंजी

वित्तीय वर्ष:

सी टी यू एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली ।

		जोड़	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
1	कुल पारेषण प्रभार (लाख में)													
	आधार प्रभार (लाख में)													
	प्रोत्साहन (लाख में)													
	विलम्ब से बिल के भुगतान के परिणामस्वरूप दन्ड से प्राप्त राजस्व													
	घटा: बिल के अग्रिम भुगतान के लिए क्रेडिट (लाख में)													
	मास के दौरान राजस्व वसूली													
	3 महीने से कम की प्राप्य राशि													
	3 महीने से अधिक किन्तु 6 महीने से कम प्राप्य राशि													
	6 महीने से अधिक प्राप्य राशि													
2	माल सूची													
	विविध देनदार													
	क छः महीने से कम													
	ख 6 महीने से 1 वर्ष													
	ग 1 वर्ष से 3 वर्ष													
	घ 3 वर्ष से अधिक													
	अन्य चालू परिसम्पतिया													
	देयताए (ऋणों को छोड़कर)													
	अन्य चालू देयताए (ऋणों को छोड़कर)													
	कार्यशील पूंजी हेतु उधार													
	कार्यशील पूंजी हेतु उधार पर ब्याज													
	कार्यशील पूंजी पर औसत ब्याज													

फार्म 20 : 31 मार्च की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र – क्षेत्रीय स्तर पर संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष

सी टी यू एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

निर्देश :– कालम 1 से 3 में आंकडे , फार्म 101–ए तथा 104 में विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित आकड़ों के अनुरूप होने चाहिए ।

	विवरण	विद्युत प्रणालियां परिसम्पतियां/ देयताएं(लाख में) (1)	आबंटित क्षेत्रीय समान परिसम्पतियां / देयताएं (लाख में) (2)	आबंटित समान नैगम परिसम्पतियां एवं देयताएं (लाख में) (3)	सकल जोड़ क्षेत्र (1+2+3) (लाख में) (4)
	निधियों के स्त्रोत				
1	**शेयरधारियों की निधियां**				
	शेयर पूंजी जमा				
	प्रारक्षित राशि तथा अधिशेष				
2	ऋण निधियां				
	रक्षित ऋण				
	अनारक्षित ऋण				
3	(क)मूल्य हास के संदर्भ में अग्रिम यदि कोई हो, से प्राप्त आय				
	(ख)अन्तः एकक लेखा				
	निधियों का उपयोग				
4	**अचल पूंजी व्यय**				
	क **सकल ब्लाक**				
	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में मूल्य				
	वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि				
	वित्तीय वर्ष के अन्त में मूल्य				
	ख संयोजित मूल्यहास				
	ग **निवल ब्लाक**				
	घ **चल रहे पूंजीगत कार्य**				
	ड़ **निर्माण संबंधी भंडार सामग्री तथा अग्रिम**				
	निर्माण संबंधी भण्डार सामग्री				
	अग्रिम				
	च निवेश				
5	**चालू परिसम्पतियां , ऋण तथा अग्रिम**				
	क मालसूची				
	ख विविध देनदार				
	ग रोकड़ तथा बैंक में जमा				
	घ अन्य चालू परिसम्पतियां				
	ङ ऋण तथा अग्रिम				
6	**घटा : चालू देयताएं तथा प्रावधान**				
	क देयताएं				
	ख प्रावधान				
7	**निवल चालू परिसम्पतियां**				
8	**विविध व्यय (बटटे खाते न डाले जाने या समायोजित न किये जाने की सीमा तक)**				
9	आकस्मिक देयताएं				

फार्म 20ए: **31मार्च की स्थिति के अनुसार विद्युत प्रणाली संबंधी तुलन पत्र:**

वित्तीय वर्ष.

सी टी यू एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली ।

विद्युत प्रणाली का नाम :

निदेश – कालम (1) तथा कालम (2) में आकड़े , फार्म 104 तथा फार्म 20 में दिए आकड़ों के अनुरूप होने चाहिए ।

	विवरण	विद्युत प्रणाली सम्बन्धी परिसम्पत्तियां / देयताएं (लाख में) (1)	आंबटित नैगम एवं क्षेत्रीय परिसम्पत्तियां तथा देयताएं (लाख में) (2)	जोड़ (1+2) (लाख में) (3)	पूर्व वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार (लाख में) 4)	सापेक्ष परिवर्तन (प्रतिशत में) (5)	लेखे में सापेक्ष वृद्धि से संबंधित टिप्पणी (जहां उपयुक्त हो, साक्ष्य दें) (6)
	निधियों के स्त्रोत						
1	शेयरधारियों की निधियां						
	शेयर पूंजी जमा						
	प्रारक्षित राशि तथा अधिशेष						
2	ऋण निधियां						
	रक्षित ऋण						
	अनारक्षित ऋण						
3	(क) मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के संदर्भ में अग्रिम के फलस्वरूप प्राप्त आय						
	(ख) अन्तः यूनिट लेखा						
	निधियों का उपयोग						
4	अचल पूंजी संबंधी व्यय						
	क संकल ब्लाक						
	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में मूल्य						
	वित्तीय वर्ष के दौरान जमा						
	वित्तीय वर्ष के अन्त में मूल्य						
	ख संचयी मूल्यह्रास						
	ग निवल ब्लाक						
	घ चल रहे पूंजीगत कार्य						
	ङ निर्माण संबंधी भण्डार सामग्री तथा अग्रिम						
	निर्माण संबंधी भण्डार सामग्री						
	अग्रिम						
	च निवेश						
5	चालू परिसम्पत्तियां , ऋण तथा अग्रिम						
	क मालसूची						
	ख विविध देनदार						
	ग रोकड़ तथा बैंक में जमा शेष						
	घ अन्य चालू परिसम्पत्तियां						
	ङ ऋण तथा अग्रिम						
6	घटा : चालू देयताएं तथा प्रावधान						
	क देयताएं						
	ख प्रावधान						
7	निवल चालू परिसम्पत्तियां						
8	विविध व्यय (बट्टे खाते न डाले जाने या समायोजित न किए जाने की सीमा तक)						
9	आकस्मिक देयताएं						

फार्म 21: 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा

वित्तीय वर्ष

सी टी यू एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

निदेश: कालम 1 से 3 में आकड़े, फार्म 102ए तथा 104 में विशिष्ट क्षेत्र के आकड़ो के अनुरूप होने चाहिए ।

	विवरण	विद्युत प्रणाली संबंधी आय एवं व्यय (लाख में) (1)	आबंटित क्षेत्रीय आय तथा व्यय (लाख में) (2)	आबंटित नैगम तथा सामान्य आय एवं व्यय (लाख में) (3)	सकल जोड़ क्षेत्र (1+2+3) (लाख में) (4)
	आय				
1	पारेषण प्रभार				
2	कर वसूली				
3	विद्युत की बिक्री				
4	परामर्शी सेवा, पी एम तथा पर्यवेक्षण शुल्क				
5	अन्य आय (यदि महत्वपूर्ण हो तो उल्लेख करें)				
6	जोड़ (1–5)				
	व्यय				
7	विद्युत की खरीद				
	पारेषण, प्रशासनिक तथा अन्य व्यय				
8	कर्मचारियों संबंधी लागत				
	पारेषण व्यय				
9	मरम्मत तथा अनुरक्षण				
10	विद्युत प्रभार (निवल)				
11	उपयोग की गई भण्डार सामग्री तथा फुटकर पुर्जे				
12	जल प्रभार				
13	विद्युत सप्लाई प्रभार				
14	अन्य (ऊपर शामिल न किए गए तथा उल्लेख करने अपेक्षित)				
15	उपजोड़ (8–14)				
	प्रशासनिक व्यय				
16	प्रशिक्षण तथा नियुक्ति संबंधी व्यय				
17	कानूनी व्यय				
18	व्यावसायिक प्रभार				
19	परामर्शी व्यय				
20	संचार संबंधी व्यय				
21	यात्रा व्यय				

फार्म 21 : 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा

वित्तीय वर्ष

सी टी यू एक्स वाई जेड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

निदेश : कालम 1 से 3 में आकड़े, फार्म 102ए तथा 104 में विशिष्ट क्षेत्र के आकड़ों के अनुरूप होने चाहिए ।

	विवरण	विद्युत प्रणाली संबंधी आय एवं व्यय (लाख में) (1)	आबंटित क्षेत्रीय आय तथा व्यय (लाख में) (2)	आबंटित नैगम तथा सामान्य आय एवं व्यय (लाख में) (3)	सकल जोड़ क्षेत्र (1+2+3) (लाख में) (4)
22	संविदा व्यय				
23	लेखा परीक्षकों संबंधी व्यय				
24	विज्ञापन तथा प्रचार				
25	मुद्रण तथा स्टेशनरी				
26	ई डी पी किराए संबंधी और अन्य प्रभार				
27	मनोरंजन व्यय				
28	दलाली				
29	दान				
30	अनुसंधान तथा विकास संबंधी व्यय (घटा अनुदान)				
31	किराया				
32	निर्माण सामग्री व्यय (बट्टे खाते डाला गया)				
33	अस्थाई कार्य (बट्टे खाते डाला गया)				
34	विविध व्यय (निदेशक के शुल्क को छोड़कर)				
35	बीमा				
36	दर तथा कर				
37	गैर प्रचलनात्मक व्यय				
38	अतिथि गृह संबंधी व्यय				
39	अन्य (ऊपर शामिल न किए गए तथा उल्लेख करने अपेक्षित)				
40	उप–जोड़(16–39)				
41	उपजोड़ (7+15+40)				
42	मूल्यह्रास				
43	पूर्व अवधि समायोजन (निवल)				
44	उप–जोड़ (41–43)				
45	घटा : सी डब्ल्यू आई पी को अंतरित आई ई डी सी				
46	उप जोड़ (44–45)				
47	प्रावधान				
48	ब्याज तथा वित्तीय प्रभार				
49	घटा: सी डब्ल्यू आई पी को अंतरित आई ई डी सी				
50	उप जोड़ (48–49)				
51	कुल व्यय (46+47+50)				

फार्म 21 ए: 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए विद्युत प्रणाली संबंधी लाभ–हानि लेखा

वित्तीय वर्ष

सी टी यू एक्स वाई जेड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

विद्युत प्रणाली का नाम

निर्देश : कालम 1 तथा कालम 2 में आंकड़े, फार्म 104 तथा फार्म 21 में दिए आंकड़ों के अनुरूप होने चाहिए ।

	विवरण	विद्युत प्रणाली संबंधी परिसम्पत्तियां / देयताएं (लाख में) (1)	नैगम तथा समान क्षेत्रीय (लाख में) (2)	जोड़ (लाख में) (3=1+2)	पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार (लाख में) (4)	सापेक्ष परिवर्तन (प्रतिशत में) (लाख में) (5)	लेखे में सापेक्ष वृद्धि के संबंध में टिप्पणी (जहां उचित हो, साक्ष्य शामिल करें) (6)
	आय						
1	पारेषण प्रभार						
2	कर वसूली						
3	विद्युत की बिक्री						
4	परामर्शी सेवा, पी एम तथा पर्यवेक्षण शुल्क						
5	अन्य आय (यदि महत्वपूर्ण हो तो उल्लेख करें)						
6	जोड़ (1-5)						
	व्यय						
7	विद्युत की खरीद						
	पारेषण, प्रशासनिक तथा अन्य व्यय						
8	कर्मचारियों संबंधी लागत						
	पारेषण व्यय						
9	मरम्मत तथा अनुरक्षण						
10	विद्युत प्रभार (निवल)						
11	उपयोग की गई भण्डार सामग्री तथा फुटकर पुर्जे						
12	जल प्रभार						
13	विद्युत सप्लाई प्रभार						
14	अन्य (ऊपर शामिल न किए गए तथा उल्लेख करने अपेक्षित)						
15	उपजोड़ (8–14)						
	प्रशासनिक व्यय						
16	प्रशिक्षण तथा नियुक्ति संबंधी व्यय						
17	कानूनी व्यय						
18	व्यवसायिक प्रभार						
19	परामर्शी व्यय						
20	संचार संबंधी व्यय						
21	यात्रा व्यय						

फार्म 21 ए: 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए विद्युत प्रणाली संबंधी लाभ–हानि लेखा

वित्तीय वर्ष

सी टी यू एक्स वाई जैड क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली

विद्युत प्रणाली का नाम

निर्देश: कालम 1 तथा कालम 2 में आंकड़े, फार्म 104 तथा फार्म 21 में दिए आकड़ों के अनुरूप होने चाहिए।

	विवरण	विद्युत प्रणाली संबंधी परिसम्पतियां / देयताएं (लाख में) (1)	नैगम तथा समान क्षेत्रीय (लाख में) (2)	जोड़ (लाख में (3=1+2)	पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार (लाख में) (4)	सापेक्ष परिवर्तन (प्रतिशत में) (5)	लेखे में सापेक्ष वृद्धि के संबंध में टिप्पणी (जहां उचित हो, साक्ष्य शामिल करें) (6)
22	संविदा व्यय						
23	लेखा परीक्षकों संबंधी व्यय						
24	विज्ञापन तथा प्रचार						
25	मुद्रण तथा स्टेशनरी						
26	ई डी पी किराए संबंधी और अन्य प्रभार						
27	मनोरंजन व्यय						
28	दलाली						
29	दान						
30	अनुसंधान तथा विकास संबंधी व्यय (घटा अनुदान)						
31	किराया						
32	निर्माण सामग्री व्यय (बट्टे खाते डाला गया)						
33	अस्थाई कार्य (बट्टे खाते डाला गया)						
34	विविध व्यय (निदेशक के शुल्क को छोड़कर)						
35	बीमा						
36	दर तथा कर						
37	गैर प्रचलनात्मक व्यय						
38	अतिथि गृह संबंधी व्यय						
39	अन्य (ऊपर शामिल न किए गए तथा उल्लेख करने अपेक्षित)						
40	उप- जोड़(16- 39)						
41	उपजोड़ (7+15+40)						
42	मूल्यहास						
43	पूर्व अवधि समायोजन (निवल)						
44	उप–जोड़ (41–43)						
45	घटा : सी डब्ल्यू आई पी को अंतरित आई ई डी सी						
46	उप जोड़ (44–45)						
47	प्रावधान						
48	ब्याज तथा वित्तीय प्रभार						
49	घटा: सी डब्ल्यू आई पी को अंतरित आई ई डी सी						
50	उप जोड़ (48–49)						
51	कुल व्यय (46+47+50)						